इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
कृषि विद्यापीठ

BPVI-011
दुग्ध उत्पादन एवं दूध की गुणवत्ता

डेयरी विकास एवं सहकारी पद्धति 1

"शिक्षा मानव को बन्धनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो यह लोकतंत्रा की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है।"

- इन्दिरा गांधी

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

"Education is a liberating force, and in our age it is also a democratising force, cutting across the barriers of caste and class, smoothing out inequalities imposed by birth and other circumstances."

- Indira Gandhi

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
कृषि विद्यापीठ

BPVI-011
दुग्ध उत्पादन एवं दूध की गुणवत्ता

खंड

1
डेयरी विकास एवं सहकारी पद्धति

इकाई 1

भारत में डेरी विकास 5

इकाई 2

डेरी सहकारी समितियाँ 30

इकाई 3

सरकारी नीतियाँ और प्रोत्साहन 53

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

209 (1000)

कार्यक्रम अभिकल्प समिति

प्रो. एच.पी. दीक्षित
भूतपूर्व कुलपति
इग्नू नई दिल्ली

प्रो. एस.सी. गर्ग
कार्यकारी कुलपति
इग्नू, नई दिल्ली

खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक मंत्रालय, नई दिल्ली
- श्री के.के. महेश्वरी
- श्री आर.के. बंसल, परामर्शदाता
- श्री वी.के. दहैया, तकनीकी अधिकारी (दुग्ध उत्पाद)

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा
- डॉ. एस. सिंह, संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक)
- डॉ. एस.पी. अग्रवाल, अध्यक्ष (डेरी अभियांत्रिकी)
- डॉ. राजवीर सिंह, अध्यक्ष (डेरी अर्थशास्त्र)
- डॉ. के.एल. भाटिया, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक
- डॉ. एस.के. तोमर, प्रधान वैज्ञानिक
- डॉ. बी.डी. तिवारी, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक
- डॉ. धर्म पाल, प्रधान वैज्ञानिक
- डॉ. ए.ए. पटेल, प्रधान वैज्ञानिक

मदर डेयरी, दिल्ली
डॉ. पी.एन. रेड्डी
पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक

प्रो. पंजाब सिंह
कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
बनारस (यू.पी.)

श्री ए. एन. पी. सिन्हा,
पूर्व अतिरिक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक मंत्रालय, दिल्ली

दुग्ध संयंत्र, ग्वालियर
श्री एम.ई. खान, प्रबंधक, संयंत्र परिचालन

दिल्ली दुग्ध योजना
श्री अशोक बंसल, दुग्ध महानिदेशक

सी आई टी ए, नई दिल्ली
श्री विजय सरदाना

महान प्रोटीन, मथुरा (उत्तर प्रदेश)
डॉ. अश्वनी कुमार राठौर,
महाप्रबंधक (तकनीक।)

संकाय सदस्य (कृषि विद्यापीठ इग्नू)
- डॉ. एम.के. सलूजा, उप निदेशक
- डॉ. एम.सी. नायर, उप निदेशक
- डॉ. इन्द्राणी लाहिरी, सहायक निदेशक
- डॉ. पी.एल. यादव, वरिष्ठ परामर्शदाता
- डॉ. डी.एस. खुर्दिया, वरिष्ठ परामर्शदाता
- श्री जया राज, वरिष्ठ परामर्शदाता
- श्री राजेश सिंह, परामर्शदाता

कार्यक्रम संयोजक : प्रो. पंजाब सिंह, डॉ. एम.के. सलूजा एवं डॉ. पी.एल. यादव

खण्ड निर्माण दल

लेखक
डॉ. कुलवंत सिंह, एन. डी. आर. आई. (इकाई 1 एवं 2)
डॉ एन. दास, (इकाई 3)

अनुवाद
मनजीत अरोड़ा

संपादक
डॉ. पी.एल. यादव
डॉ. एम.के. सलूजा
डॉ. जे.एस. सिन्धु

पुनरीक्षण
डॉ. जे.एस. सिन्धु
डॉ. एम.के. सलूजा

पाठ्यक्रम संयोजक
डॉ. एम.के. सलूजा
डॉ. पी.एल. यादव
डॉ. राजवीर सिहँ
डॉ. जे.एस. सिन्धु

समायोजक
डॉ. जे.एस. सिन्धु
डॉ. एम.के. सलूजा

सामग्री निर्माण

श्री एस. बर्मन
उप– कुलसचिव, (प्रकाशन)

श्री के. एन. मोहनन
सहायक कुल सचिव (प्रकाशन)

श्री बाबूलाल
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)

January.2018 (Reprint)

© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

ISBN: 978-81-266-3374-6

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रुप में, मिमियोग्राफी (चक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नही है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110016 से संपर्क करें।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की ओर से कुलसचिव, सामग्री निर्माण एवं वितरण प्रभाग द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

मुद्रितः – कल्याण इन्टरप्राईजेज, डी–20, सैक्टर बी–3, ट्रोनिका सिटी, (औधोगिक क्षेत्र), लोनी, गा०बाद।
kalyanenterprises87@gmail.com

खंड 1 प्रस्तावना

जैसा कि हमें ज्ञात है कि विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। हमारे देश में डेरी विकास भारत सरकार द्वारा इसके चहुँमुखी विकास के लिए उठाए गए प्रगतिशील प्रयत्नों के कारण हुआ है। देश में बड़ी संख्या में गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ) और अन्तरराष्ट्रीय संगठनों ने इसकी उन्नति के लिए योगदान दिया है। सहकारी समितियों ने डेरी क्रियाकलापों की वृद्धि के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इस खंड में हम डेरी उद्योग की उन्नति और नीतिगत कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

इकाई 1 इस इकाई में हम डेरी विकास के इतिहास के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसे तीन चरणों में बताया गया है अर्थात स्वतन्त्रता पूर्व, 1947–1970 तक और 1970 से आगे। इस इकाई में सरकारी, गैर–सरकारी और अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों को सम्मिलित किया गया है। हम दूध उत्पादन पद्धति, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता और देश के पशुधन के विकास की पद्धति की जानकारी लेंगे।

इकाई 2 डेरी विकास (दूध उत्पादन, दूध संसाधन और विपणन) के लिए सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान और उनके गठन के सिद्धातों और चार सोपान वाली सहकारी संरचना जिसमें ग्राम स्तर वाली सोसाइटी के स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी डेरी फेडरेशन सम्मिलित है के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आनन्द पद्धति की सहकारिता और उसकी कार्य विधि को भी स्पष्ट किया गया है। भारतीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम को भारत के सहकारी आन्दोलन सहित पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है। हम राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड़ की भी जानकारी लेंगे।

इकाई 3 सरकार ने दूध उत्पाद में वृद्धि करने और दूध एवं इसके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस इकाई में हम भारत में डेरी उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और प्रयासों का भी अध्ययन करेंगे। हम सरकार की अवधारणा और उद्देश्य के संबंध में भी सीखेंगे। डेरी विकास की विभिन्न योजनाओं जैसे गहन डेरी विकास कार्यक्रम, स्वच्छ दूध उत्पादन, डेरी उद्यम पूँजी अनुदान और पशुधन योजना के संबंध में भी चर्चा करेंगे।

209 (1000)

BPVI-011 पाठ्यक्रम प्रस्तावना

भारत में दूध का उत्पादन गाँवों में होता है। बाजार में अधिकतर गाय और भैंस का दूध ही उपलब्ध होता है। दूध का व्यापार निजी ठेकेदारों, सहकारी समितियों और सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। दूध स्वच्छ, संदूषण और अपमिश्रण मुक्त होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में हम दूध के उत्पादन और गुणवत्ता के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस पाठ्यक्रम को हमने चार भागों में विभाजित किया है जो दूध उत्पादन और संचयन, मौलिक दुग्ध रसायन तथा मौलिक दुग्ध सूक्ष्मजीव विज्ञान से संबंधित हैं।

खंड 1 इस खंड में, हमें भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त से डेरी विकास, डेरी सहकारी समितियाँ, भारत सरकार की नीतियाँ और हमारे देश में डेरी उद्योग के विकास के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का विवरण मिलेगा।

खंड 2 मानव उपभोग के लिए गाय, भैंस और बकरी का दूध बाजार में उपलब्ध है। यहाँ दुधारु पशुओं की विभिन्न नस्लें हैं। इस खंड में हम गाय, भैंस, बकरी की विभिन्न नस्लों, उत्तम पशुपालन-पद्धतियों और स्वास्थ्य सेवा के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस खंड में स्वच्छ दूध के उत्पादन, दूध उपार्जन करने की व्यवस्था तथा भुगतान की विधियों को भी स्पष्ट किया जाएगा।

खंड 3 जैसा कि हमें ज्ञात है दूध में वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज और विटामिन आदि तत्व होते हैं। इस खंड में हम दूध के संयोजन और इसके पौष्टिक महत्व, भौतिकीय–रसायन विशेषताएं, ऊष्मा संसाधन का दूध पर प्रभाव; दूध से संबंधित महत्वपूर्ण किण्वकों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस खंड में दूध में परिरक्षक, निष्प्रभाविक और अपमिश्रण तथा उनके अभिज्ञान को भी स्पष्ट किया गया है।

खंड 4 दूध विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित होता है जो इसको विकृत करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव है जो दुग्ध उत्पादों जैसे योगर्ट, दही और श्रीखंड को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इस खंड में हम दूध से संबंधित सूक्ष्मजीवों, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों तथा दूध और दुग्ध उत्पादों को विकृत होने से बचाने तथा लोक स्वास्थ्य से संबंधित जीवाणुओं के संबंध में अध्ययन करेंगे।

इकाई 1 भारत में डेरी विकास

संरचना

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 स्वतंत्रता–पूर्व काल में डेरी विकास

1.3 1947–1970 तक डेरी विकास की स्थिति

- सरकारी परियोजनाएं
- गैर–सरकारी संगठन
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), इसके संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय
- अन्तरराष्ट्रीय और विदेशी एजन्सियाँ

1.4 1970 के बाद डेरी विकास

- सहकारी समितियों द्वारा डेरी विकास – आनंद पद्धति
- राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
- ऑपरेशन फ्लड के तीन चरण
- डेरी विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन
- बी ए आई एफ विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान

1.5 भारत में डेरी उद्योग की वर्तमान स्थिति

- दुग्ध पाउडर का उत्पादन और आयात
- दुग्ध उत्पादन
- प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता
- पशुधन संख्या में वृद्धि की पद्धति

1.6 सारांश

1.7 शब्दावली

1.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् हम :

- भारत में डेरी विकास के इतिहास की स्थिति जान सकेंगे;

- विभिन्न ऐजन्सियों जैसे सरकारी, गैर–सरकारी और अन्तरराष्ट्रीय ऐजन्सियाँ, जिन्होंने भारत में डेरी उद्योग और पशु–पालन के लिए योगदान दिया के विषय में जानेंगे;
- डेरी विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं की रुपरेखा जान सकेंगे;
- प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता और उत्पादन की वृद्धि में सहकारी समितियों; राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और ऑपरेशन फ्लड (ओ एफ) के योगदान की रुपरेखा जान पायेंगे; तथा
- भारत में डेरी उद्योग की वर्तमान स्थिति का ज्ञान प्राप्त करेंगे।

1.1 प्रस्तावना

कृषि को एक आधार के रुप में जाना जा सकता है जिसके चारों ओर समस्त अर्थव्यवस्था का भविष्य परिक्रमा करता है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) में 22% योगदान है और यह देश की 58% जनसंख्या का जीविकोपार्जन करती है। कुल राष्ट्रीय आय का 6.5% पशुधन से प्राप्त होता है। (आर्थिक सर्वेक्षण, 2003–04)

पशुधन संपत्ति की उत्पत्ति उतनी ही पुरानी है जितना मानव सभ्यता का विकास। वस्तुतः यह जीव संपत्ति और मानव समाज परस्पर एक–दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि पशुधन राष्ट्रीय संपत्ति का मुख्य स्रोत होने के साथ–साथ आर्थिक समृद्धि का एक साधन है विशेषकर भारत जैसे देश में। केन्द्र और राज्य सरकार ने ग्रामीण लोगों विशेषकर निर्धन, भूमिहीन श्रमिक और अन्य पिछड़े लोगों जो गरीबी रेखा से नीचे है, के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए डेरी विकास को एक साधन के रुप में अत्याधिक महत्व दिया है। दुधारु पशुओं को पालने के लिए विभिन्न डेरी विकास कार्यक्रमों, सरकारी वित्तीय सहायता और न्यूनतम ब्याज दर पर पशुओं की खरीद, पशुशाला बनाने और राशन आदि के लिए संस्थानिक ऋण के माध्यम से सीधे प्रोत्साहित किया है। सामान्य रुप से पशुधन, पशुपालन और विशेष रुप से डेरी उद्योग की वर्तमान स्थिति चिर पुराने विकास कार्यों से उभर कर आई है। स्वरुप को स्पष्ट परिपेक्ष में समझने के लिए डेरी विकास कार्यों का तीन चरणों में अध्ययन किया जा सकता है जैसे पूर्व योजना अथवा स्वतंत्रता–पूर्व काल और 1969–70 और उसके बाद का काल।

1.2 स्वतंत्रता–पूर्व काल में डेरी विकास

पशुपालन और डेरी उद्योग में सरकार की मध्यस्थता के इतिहास को 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग से आगे बताया जा सकता है, जब ब्रिटिश सेना ने भारत में आगमन किया। वे निम्न गुणवत्ता के दूध को पचा नहीं सकते थे। ताजे और गुणवत्तापूर्ण दूध की आपूर्ति का भार क्वार्टर मास्टर जर्नल को सौंपा गया। उनके हस्तक्षेप के कारण और दूध की प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में कई सैनिक डेरी फार्म स्थापित किए गए। इस प्रकार का प्रयास सैनिक डेरी फार्म स्थापित कर प्रथम 1891 वर्ष में इलाहाबाद में किया गया।

1920 में भारतीय डेरी उद्योग को सुव्यस्थित रुप से चलाने के लिए प्रमुख डेरी विशेषज्ञ

का पद सृजित किया गया। इससे पूर्व डेरी अनुसंधान और विकास का संपूर्ण कार्य कृषि के प्रमुख विभाग द्वारा चलाया जाता था। 1922 और 1923 में क्रमशः बैंगलौर और इलाहाबाद में डेरी विज्ञान में डिप्लोमा आरम्भ किया गया।

वर्ष 1936 में डा. एन सी राइट, निदेशक, हन्नाह अनुसंधान संस्थान, अयर (स्कॉटलैंड) को डेरी उद्योग की प्रगति की जांच करने तथा इस उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर परामर्श देने हेतु आमंत्रित किया गया। 1937 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और डेरी अनुसंधान निदेशक, की नियुक्ति करने का सुझाव दिया जबकि नियुक्ति 1952 में स्वंतत्रता–प्राप्ति के 15 वर्ष बाद की गई। उन्होंने अपनी अधिकतर अनुशंसा कृषि रॉयल कमीशन से प्राप्त की और उन्होंने अनुशंसित किया कि – (i) उत्तम नस्ल के पशु उत्पन्न करने के लिए चयनित स्वदेशीय पशुओं के साथ बेहतर प्रजनन द्वारा वर्तमान पशुओं की शंकर नस्ल तैयार कर ग्रामीणों को वितरित किया जाए, पशुओं के पोषण पर अनुसंधान किया जाए और गाँवो में दूध और दुग्ध उत्पादों को स्वच्छ रखने के लिए प्रचार–प्रसार किया जाए (ii) जीवाणु विज्ञान, रसायन–विज्ञान, डेरी प्रौद्योगिकी और पशुपालन जैसे विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता अनुसंधान के लिए दिल्ली के निकट एक नया डेरी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाए (iii) बैंगलौर और आनंद के वर्तमान संस्थानों का प्रयोग क्षेत्रीय स्टेशनों के रुप में किया जाए (iv) सभी कृषि महाविद्यालयों में डेरी समस्याओं के अनुसंधान को प्रारंभ किया जाए।

1938 में बंबई सरकार द्वारा नियुक्त एक पशु विशेषज्ञ समिति ने (i) गाँवों में पशु सुधार और दुग्ध उत्पादन, (ii) दुग्ध उत्पादन एवं संसाधन और (iii) दुग्ध उत्पादों को उपभोगी क्षेत्रों में वितरण के लिए परिवहन की अनुशंसा की।

1938 में पं. जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता में नियुक्त राष्ट्रीय योजना समिति ने भी डेरी विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। पशुपालन और डेरी उद्योग पर उप–समिति ने रिपोर्ट दी कि: (i) डेरी उद्योग और इसके खुदरा व्यापार में विस्तार करने की पर्याप्त संभावना है और इस स्थिति में आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाए, (ii) डेरी उत्पादों के उत्पादन और उपभोग के लिए सहकारी समितियों का विकास किया जाए, (iii) वर्तमान फार्मों को बदल कर यांत्रिक डेरी फार्म बनाए जाए (iv) शिक्षा और उच्च अनुसंधान (v) पशु चारागाह बनाना और पर्याप्त राशन–पानी देना। दुग्ध उत्पादन में सुधार के लिए *दुधारु पशुओं* के विकास हेतु बहुतसी परियोजनाएं बनाई गईं थीं। स्थानीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में साँड़ों की आपूर्ति की गई किन्तु विश्व युद्ध आरंभ होने के कारण इनमें बाधा पड़ी। युद्ध के बाद, इन्हें पुनः आरम्भ किया गया। डेरी व्यापार के नियंत्रण और विकास के लिए सहकारी डेरी उद्योग पर एक मुख्य परियोजना आरम्भ की गई। तीन प्रकार की सहकारी समितियाँ जैसे दुग्ध उपभोक्ता सहकारी समिति, दुग्ध वितरण सहकारी समितियाँ और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ आरम्भ की गई। दुग्ध उपभोक्ता समितियाँ बर्नपुर और इलाहाबाद (1943) में आरंभ की गई। दुग्ध वितरण समितियों में राधा स्वामी शैक्षिक संस्थान, दयाल बाग, आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुई। प्रमुख दुग्ध उत्पादन समितियाँ केरा और इलाहाबाद (1945), आनन्द (1946) और बनारस, मेरठ, कानपुर, नैनीताल (1949-50) में स्थापित हुई। डेरी विकास में इन सभी समितियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस अवधि में, बहुत सी डेरी परियोजनाएँ जैसे बंबई दुग्ध योजना, केरा जिला सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड, आनन्द; पोलसन लिमिटेड, तलान्खरी सहकारी दुग्ध सोसाइटी,

नागपुर; फेडरेशन दुग्ध संघ, कलकत्ता; लखनऊ सहकारी दुग्ध आपूर्ति संघ, मद्रास दुग्ध आपूर्ति संघ, मद्रास; कवेन्टर डेरी और कशीरा क्षेत्र अनेक दुग्ध परियोजनाएँ आरम्भ की गई।

1.3 1947–70 तक डेरी विकास की स्थिति

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मुख्य उद्देश्य और उन्हें किस प्रकार से पूरा करना है लगभग वैसे ही थे जैसे स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व थे। तथापि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के एक ठोस प्रयास की आवश्यकता को महसूस किया। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तीन क्षेत्रों में डेरी उद्योग का विकास करने के प्रयास किए जैसे सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) और एम एन सी।

i. सरकारी परियोजनाएँ

सार्वजनिक क्षेत्रों में मुख्य रुप से तीन योजनाएँ जैसे सामुदायिक खंड विकास योजना, प्रमुख ग्राम योजना और गहन पशु विकास योजना कार्यक्रम आरंभ की गईं, जिनके संबंध में नीचे चर्चा की गई हैः इस अवधि (प्रथम योजना, द्वितीय योजना और तृतीय योजना और तीन वार्षिक योजनाओं) में पशुपालन और डेरी उद्योग में कुल रु. 235.93 करोड़ की अनुमानित लागत थी किन्तु वास्तविक खर्च मात्र रु. 189.23 करोड़ (79%) हुआ। पशुपालन और डेरी उद्योग में अनुमानित लागत का प्रतिशत अंश क्रमशः 63% और 37% था जबकि खर्च क्रमशः 57% और 47% हुआ।

क) सामुदायिक खंड विकास कार्यक्रम

भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना हमारी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, इसको प्राप्त करने के लिए के 55 चयनित खंडों में सामुदायिक खंड विकास योजना आरम्भ की गई। इस परियोजना के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह परियोजना 2 अक्टूबर, 1952 को भारत के पूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु द्वारा दिल्ली के निकट अलीपुर खंड में आरम्भ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत मुख्य कार्यकलापों में क्षेत्र थे (i) कृषि, (ii) पशुपालन, (iii) सिंचाई, (iv) संचार, (v) स्वास्थ्य, (vi) शिक्षा, (vii) पूरक रोजगार, (viii) आवास, (ix) प्रशिक्षण और (x) समाज–कल्याण।

प्रत्येक खंड में पशुपालन कार्यक्रमों जिनका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रजनन और रोग नियन्त्रण द्वारा पशुओं का विकास करना था, के अवलोकन के लिए पशुपालन अधिकारी की नियुक्ति की गई। प्रत्येक ब्लाक में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोला गया। जिसमें स्थानीय पशुओं को उच्च कोटि के नस्ल के शुक्राणु दिए जाते थे। 1968 के अन्त में सामुदायिक विकास खंडो की संख्या 52,651 तक पहुँच गई इसके अतिरिक्त 489 आदिवासी विकास खंड थे।

ख) प्रमुख ग्राम योजना

प्रमुख ग्राम योजना, देश में पशु सुधार का एक बृहत और एकीकृत कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योज़ना में आरंभ किया गया। इस परियोजना में, प्रत्येक प्रमुख गाँव लगभग 500 वयस्क गाये और/या भैंसों की संख्या वाले निकटस्थ गाँवों की एक सघन इकाई थी। इस योजना में पशु विकास के तकनीकी कार्यक्रम निम्नलिखित थेः

- प्रत्येक राज्य के लिए एक उपयुक्त प्रजनन प्रणाली की रुपरेखा तैयार करना।
- पशुधन सुधर अधिनियम बनाना और पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों का नियन्त्रण करना।
- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना।
- प्रजनन कराने वालों को प्रजनन की समस्या को हल करने में निम्नलिखित बातों का पालन करने की सलाह दी गई:

  क) सभी अमान्य साँडों का बधिकरण करना और प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान द्वारा कराना अथवा उत्तम कोटि के साँडों द्वारा कराना।

  ख) संक्रामक रोगों से बचाव और रोगी पशुओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा का प्रावधान।

  ग) उत्तम राशन देना।

  घ) बेहतर विपणन सुविधा का प्रावधान।

  ड़) पशु मेले और बछड़ो की रैली का आयोजन।

1959–60 तक की परियोजना प्रगति के अनुसार कुल 3,61,064 कृत्रिम गर्भाधान और 92,105 प्राकृतिक गर्भस्थापन हुए जिससे लगभग 25% की वृद्धि हुई। प्रमुख ग्राम केन्द्रों में, कृत्रिम गर्भाधान के लिए कुल 1473 साँडों और प्राकृति गर्भाधान के लिए 193 साँडों के भरण–पोषण की व्यवस्था की गई और लगभग 1.37 लाख अदना साँडों का बधियाकरण किया गया।

ग) गहन पशु विकास योजना (आई सी डी पी)

प्रमुख ग्राम योजना से सराहनीय प्रभाव नहीं पड़ा चूँकि इसमें लगभग 6% जनसंख्या का समावेस हो सका। परियोजना में विशाल क्षेत्र सम्मिलित न होने के कारण इस क्षेत्र में किए गए उत्तम कार्य व्यर्थ हो गए। 1964 में गहन पशु विकास परियोजना नामक एक अन्य महत्वकांक्षी परियोजना आरम्भ की गई, जो कृषि में पैकेज कार्यक्रम की भाँति थी और सभी अपेक्षित निवेशों के गहन और एकीकृत प्रयोग द्वारा दुग्ध उत्पादन की वृद्वि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रुप में मानी गई थी।

प्रत्येक गहन पशु विकास परियोजना में केन्द्रीय शुक्राणु बैंक, चार क्षेत्रीय गर्भाधन केन्द्रों और 100 पशुपालन केन्द्रों सहित प्रजनन योग्य आयु की एक लाख गायों और भैसों को सम्मिलित किया गया। यद्यपि चौथी योजना से पूर्व गहन पशु चिकित्सा परियोजना की कुल संख्या 31 थी किन्तु यह निरन्तर बढ़ती चली गंई और 1992–93 के अन्त में इनकी संख्या बढ़कर 124 हो गई।

ii. गैर–सरकारी संगठन

भारत में न केवल सरकार बल्कि विभिन्न लोकोपकार ट्रस्टों और संगठनों द्वारा चलाए जा रहे गैर–सरकारी संगठन भी पशुपालन और डेरी उद्योग में बहुत सहायता कर रहे हैं,

तथापि इन संगठनों को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र में कार्यरत कुछ प्रमुख संगठनों की नीचे चर्चा की गई है।

क) गोसदन योजना

गोसदन योजना मुख्यतः वृद्ध, कमजोर, अप्रजननीय बेकार पशुओं को अलग करने के उद्देश्य से आरंभ की गई ताकि अंधाधुन्ध प्रजनन पर नियन्त्रण कर आहार और चारे के सीमित संसाधनों के दबाव से निपटा जा सके। गोसदन दूरस्थ वन क्षेत्रों अथवा बंजर भूमि में स्थित है। प्रथम योजना काल में 3,20,000 पशुओं के लिए 160 गोसदन स्थापित करने का प्रस्ताव था। द्वितीय और तृतीय योजना में भी 60 और 23 गोसदन स्थापित करने का प्रस्ताव था, तथापि उपलब्धि लक्ष्य से कम रही। प्रथम योजना में मात्र 25 गोसदन स्थापित किए जा सके।

ख) गोशाला एवं पिजरपोल

गोशाला और पिजरपोल परोपकारी संस्थाऐं है जिनको जनता के सहयोग से स्थापित किया जाता है। इन संस्थाओ का मुख्य उद्देश्य बेकार एवं अनउत्पादक पशुओं को रखना था। यह साफ तौर पर पता था कि गाय बछड़े व बैल गौशाला में रखे जायेगें तथा अन्य पशु पिजरपोल में। 1949 में स्थापित केन्द्रीय गोशाला विकास बोर्ड का मूल उद्देश्य 6 लाख पशुओं वाली वर्तमान गोशालाओं और पिजरपोलो का विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकासात्मक कार्यकलापों में अधिक तीव्रता लाई गई। उत्तम नस्ल के साँड पैदा करने के लिए 246 गोशालाओं को चुना गया। तीसरी योजना में 168 और गोशालाओं को पुनः वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की गई तथा इन्हें पशुप्रजनन एवं दुग्ध उत्पादन इकाई में परिवर्तित किया गया। उल्लेखनीय है कि इन गोशालाओं से संबंधिक गाय कई अवसरों पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता में विजय हासिल कर चुकी है।

ग) केन्द्रीय गौसमवर्धन परिषद

केन्द्रीय गौसमवर्धन परिषद का गठन राष्ट्रीय स्तर पर चहुमुखी समन्वित पशु विकास को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया। परिषद का 1960 में भारत सरकार द्वारा पुर्नगठन किया गया और इसके ढाँचें और कार्यकलापों का विस्तार किया गया। इसके कार्यकलापों में संशोधन किया गया और दुग्ध उत्पादन और भार वहन शक्ति को बढ़ाने के लिए इसमें पशु संरक्षण और विकास संबंधी कार्यक्रमों और कार्यकलापों को शामिल किया गया। परिषद की कुछ उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैः

- इससे पशु विकास कार्य के अतिरिक्त प्रशासकों, वैज्ञानिकों और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के लिए एक खुला मंच प्रदान हुआ।
- गाय और उसकी नस्ल की प्रगति के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों और अन्य स्वंयसेवी संस्थानों के साथ एक निकट सहयोग स्थापित हुआ।
- 'गौसमवर्धन सप्ताह' के आयोजन के माध्यम से पशु विकास में रुचि उत्पन्न हुई।
- संगोष्ठियाँ, पशु मेले और रैली जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए।

- कार्यकर्त्ताओं के लिए पत्रिकाएँ, पुस्तकें, फिल्में और पैम्फलैट प्रकाशित किए गए।
- पशु संरक्षण और विकास के लिए एक योजनाबद्ध आधार प्रदान करने का कार्य किया गया।
- जून 1960 में माँऊट आबू संगोष्ठी में देशभर के लिए पशु–प्रजनन और एक ठोस प्रजनन नीति निर्धारित करने के लिए विचारणीय ध्यान दिया गया।
- गौशाला प्रबन्ध के लिए एक–वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- लेमर ने 1960 में रिपोर्ट दी कि 3000 ऐसे धर्मार्थ संस्थान है, जहाँ 10% पशुओं को किसी न किसी उत्पादन कार्यकलाप में मूल्याँकित किया जा रहा है। ये धर्मार्थ संस्थान जनता और धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं, इन्हें केन्द्र और राज्य सरकारों से भी अनुदान सहायता प्रदान की जा सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल में कुछ अन्य संगठन जैसे बाबा भक्त राम ट्रस्ट, दीन दुखिया मल ट्रस्ट, गांधी–स्मारक निधि और कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट ग्रामीण क्षेत्रों से लावारिस पशुओं को पकड़ कर अपने खेतों में उनका भरण–पोषण करते हैं।

iii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), इसके संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है, का भारत के डेरी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक मूल निकाय है, जो डेरी विकास की मूलभूत नीति बनाती है, विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वयन प्रदान करती है और उनके कार्यसंपादन में मार्गदर्शन करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान जैसे राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), करनाल (हरियाणा); भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जत नगर (उत्तर प्रदेश); केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान (सीआईआरजी), हिसार (हरियाणा); केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (सीआईआरजी), मकदूम (उत्तर प्रदेश); राष्ट्रीय पशु प्रजनन संसाधन ब्यूरो (एनबीजीआर), करनाल (हरियाणा); डेरी दुग्ध विकास से संबंधित अनुसंधान से जुड़े है। उपर्युक्त संस्थानों के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अर्न्तगत विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय डेरी विकास से संबद्ध कार्यों में योगदान करते है। इनमें एनडीआरआई और आईवीआरआई जैसे संस्थान और कई कृषि विश्वविद्याालय देश में दुग्ध संयंत्र और अनुसंधान संस्थानों के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने हेतु डेरी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन नीति का निष्पादन और संस्तुति कृषि और पशुपालन बोर्ड की पशुपालन शाखा की डेरी समिति द्वारा किया जाता है। आईसीएआर दुग्ध शिक्षा और अनुसंधान से भी गहन रुप से संबद्ध है। यह डेरी विज्ञान पर पुस्तकों के प्रकाशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह देश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को डेरी उत्पादन से संबंधित समस्याओं पर विभिन्न परियोजनाओं को प्रायोजित करता है और अनुदान प्रदान करती है।

iv. अन्तरराष्ट्रीय और विदेशी एजेन्सियाँ

भारत में डेरी उद्योग के विकास में सफलता का श्रेय आंशिक रुप से अन्तरराष्ट्रीय संगठनो को जाता है, जिन्होनें समय–समय पर विभिन्न कार्यकलापों में वित्तीय सहायता प्रदान की। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 1951 से 1969 तक विभिन्न विकास परियोजनाओं पर किए गए खर्च का 20% भाग अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों का था। कुल अनुदान में से, 58% अकेले अमरीका का, विश्व बैंक और आईडीए, जर्मनी, ब्रिटेन और रुस का क्रमशः 13%, 7%, 6% और 6% भाग थां। कुल सहायता का 7% कनाडा और जापान ने प्रदान किया। शेष 3% 15 देशों के अन्य समूह से आया, जिनमें मुख्य देश फ्राँस, चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रेलिया और नीदरलैंड थे। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सहायता पर नीचे चर्चा की गई है:

क) संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ)

यूनिसेफ एक अग्रगामी संगठन है, जो भारत में डेरी उद्योग के विकास पर प्रतिवर्ष औसतन रु0 15 करोड़ खर्च करता है और महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है इस सहायता की संस्वीकृति की प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की संयुक्त समिति के अनुमोदन से किया जाता है, जो तुरन्त सर्वेक्षण करती है और केन्द्र/राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा करती है। इसने देश में 17 दुग्धशालाओं के निर्माण/स्थापन की सहायता प्रदान की। रुपये अदायगी कार्यक्रम में, भारत को वर्ली, केरा, राजकोट, अहमदाबाद, कोलकाता, आरे दुग्ध कालोनी, बेंगलूर दुग्धशाला, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के लिए रु0 90.55 लाख प्रदान किए। इसके साथ अन्य डेरी परियोजनाओं से रु0 4.42 करोड़ प्राप्त किए गए। यूनिसेफ से प्राप्त सारी वित्तीय सहायता का प्रयोग पाउडर दूध, दुग्ध संयंत्र, उपकरण और यंत्र, दूध संयंत्र के नियोजन और स्थापन तथा प्रशिक्षण देने पर किया गया। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ ने डेरी अध्यापक शिक्षकीय कार्यशाला आयोज़ित करने और 1964 में भारत में आयोजित प्रथम डेरी उद्योग सम्मेलन में भाग लेने वाले कार्मिकों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान कर योगदान दिया। देश में बच्चों और स्तन्यदा माताओं के लिए दुध की आपूर्ति के पुर्वभुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

ख) खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)

खाद्य और कृषि संगठन देश में दुग्ध परियोजनाओं को लागू करने में विशेषज्ञ प्रदान करता है। यह सर्वेक्षण आयोजित करता है और डेरी विकसित देशों में प्रतिनियुक्त तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने में सहायता करता है। इसने क्षेत्रीय डेरी पाठ्यक्रम, मुंबई; एशिया में डेरी समस्या पर बैठक और दूरस्थ पूर्वी देशों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में भी सहायता प्रदान की। हैदराबाद और दिल्ली में दुग्ध उत्पादकों को चारा आपूर्ति के लिए रु0 26.86 लाख की राशि प्रदान की। इसी क्रम में पंजाब को यूरोप की 250 फ्राईसियन अल्पवयस्क गाय दी।

ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जिस पर चर्चा इस सेक्शन के अगले भाग में की जाएगी के अन्तर्गत 1969 में 12,600 टन स्प्रेटा पाउडर दूध और 42,000 टन बटर ऑयल की स्वीकृति दी थी जिसे 5 वर्षों में प्राप्त करना था किन्तु किसी कारणवश इसे 10 वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सका।

ग) सी.ए.आर.ई.

यूनिसेफ और केयर ने अमेरिका और भारत के अन्य संगठनों के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 28,000 टन स्प्रेटा पाउडर दूध जिसका मूल्य 3 करोड़ रुपये था, का निःशुल्क वितरण किया।

घ) नारी राहत के लिए ऑक्सफोर्ड समिति (ऑक्सफम)

नारी राहत के लिए ऑक्सफोर्ड समिति ने जिला दुग्ध सहकारी संघ, केरा को चारा मिलाने का संयंत्र खरीदने और स्थापित करने के लिए दानस्वरुप 14 लाख रुपये प्रदान किए।

ड़) ओसर परियोजना (हीफर प्रोजेक्ट)

ओसर परियोजना 1938 में डॉन वेस्ट जो कि चर्च राहत कार्यकर्त्ताओं के रुप में एक चर्च है, अनाथ बच्चों और स्पेन के गृह युद्ध के पीड़ित बच्चों में पाउडर दूध के वितरण में कार्यरत रहा था। तत्पश्चात् यह विचार किया गया कि दूध की बजाए गाय दान की जाए। 1962 में इस परियोजना में 60 देशों के लिए 25,000 फार्म पशु और 7.50 लाख चूजे तथा सेने वाले अण्डे जहाज द्वारा भेजे गए। 1955 में भारत को भी जरसी साँड प्रजनन के लिए दिए गए। कनाडा ने अन्य पशुओं के गर्भाधान के लिए बर्फ में परिक्षिति शुक्राणुओं की भी आपूर्ति की। 1962 में भारत को पुनः 33 करोड़ मूल्य के जरसी साँड और 66 ओसर तीन चरणों में जहाज द्वारा भेजी गई। अक्टूबर 1969 में न्यूयार्क से 90 जरसी साँड और फराईसीयन अल्पवयस्क ओसर और साँड प्राप्त हुए। नवम्बर, 1969 में भारत को उत्तम नस्ल की 62 जरसी ओसर गायों, 21 जरसी साँड, 10 फराईसीयन ओसर गाय और 9 फाईसीयन साँडो की आपूर्ति की गई। इस परियोजना के अर्न्तगत अमेरिका ने भी उपहारस्वरुप 50 जरसी पशु (41 साँड और 6 ओसर) प्रदान की। अमेरिका ने राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान (एन.डी.आर.आई), करनाल को संकरण के लिए बर्फ में परिक्षिति ब्रांड स्विस शुक्राणु भी उपलब्ध कराए। इसी के माध्यम से एन.डी.आर.आई द्वारा कर्ण – स्विस नस्ल जोकि उच्च कोटि की उत्पत्ति के रुप में मानी जाती है, का विकास हुआ।

च) उनके लिए जिनके पास कम है परियोजना

इस परियोजना के अर्न्तगत, प्रजनन के लिए आस्ट्रेलिया द्वारा प्रेषित विभिन्न नस्लों के पशु जैसे गर्नसी, फसिर्चन, जरसी प्राप्त हुए। इनका वितरण तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में किया गया।

छ) अन्तरराष्ट्रीय डेरी संघ (आई.डी.एफ)/अन्तरराष्ट्रीय डेरी सोसाइटी

अन्तरराष्ट्रीय डेरी संघ और डेरी सोसाइटी अन्तरराष्ट्रीय भी भारत में डेरी उद्योग के लिए योगदान देती है। यह दोनो संघटन अन्तरराष्ट्रीय हित के लिए समस्याओं पर विचार करते हैं इन्होनें 1954 में गर्म देशों में डेरी उद्योग की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक पृथक कमीशन गठित किया।

ज) अन्य देशों से सहायता

यद्यपि बहुत अधिक नहीं (3%) भारत को विभिन्न देशों जैसे जापान, इटली, फ्राँस,

चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया, पोलैंड, स्विटजरलैंड, बेल्जियम, आस्ट्रिया, स्वीडन, डेनमार्क, नार्वे, न्यूजीलैंड, हंगरी और बुलगेरिया से सहायता प्राप्त हुई।

बोध प्रश्न 1

1) भारत में पशुपालन और डेरी उद्योग से जुड़ी कुछ एजेन्सियों के नाम बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

2) सामुदायिक खंड विकास कार्यक्रम के मुख्य क्रियाकलाप क्या है।

.....

.....

.....

.....

.....

3) भारत में डेरी विकास में जुड़े कुछ गैर–सरकारी संगठनों और स्वायत्त निकायों / परिषदों के नाम बताएं।

.....

.....

.....

.....

.....

4) भारत में डेरी उद्योग के विकास में सहायता प्रदान करने वाली पाँच एजेन्सियों के नाम बताएं

.....

.....

.....

.....

.....

1.4 1970 के बाद डेरी विकास

देश में, डेरी उद्योग और पशुपालन विकास में तीन प्रकार के संगठनों :– निजी, सरकारी

और सहकारी संगठनों ने सहायता प्रदान की है। ऐसा देखा गया है कि निजी डेरियों को सब मिलाकर मात्र अधिकतम संभव लाभार्जित करने का स्वार्थ है, उन्होंने डेरी उत्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने पर कभी ध्यान नहीं दिया। स्पष्ट है कि निजी उद्यमों और दुग्ध संयंत्र चलाने वालों पर निर्भर रहकर डेरी उद्योग में सुधार करने की आशा नहीं की जा सकती। सरकार द्वारा संचालित नगर दुग्ध आपूर्ति योजनाओं का कार्य कभी भी संतोषजनक और उत्साहवर्द्धक सिद्ध नहीं हुआ। अत्याधिक सफल सहकारी डेरी जैसे अमूल का अनुभव और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के परिणामों को पूर्व भारतीय डेरी निगम (कार्यक्रम के लिए वित्तपोषित करने वाली एजेन्सी) /राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सहकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। आशा है सहकारी प्रणालियों पर आधारित इस डेरी उद्योग व्यवस्था से वांछित लाभ प्राप्त होंगे। डेरी सहकारी समितियाँ किसानों के अत्याधिक सहचारी संगठनों के रुप में कैसे उभर पाएंगी जो एक साथ दूध उपार्जन, परिवहन, संसाधन और विपणन को संभाल सकें और इस प्रयोजनार्थ अभिकल्पित मौलिक सुविधाओं के माध्यम से दूध के उत्पादन में कैसे वृद्धि कर सकेगी तथा दूसरी ओर देश में ग्रामीण समुदाय की आय और सामाजिक स्तर को भी बढ़ाया जा सके, कुछ ऐसे बिन्दु है जिनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:

i) सहकारी समितियों द्वारा डेरी विकास– आनंद पद्धति

यह स्मरण बड़ा रोचक हो सकता है कि संगठनों की आनन्द पद्वति किस प्रकार अस्तित्व में आई, आकार लिया और अन्ततः समस्त देश में डेरी विकास के लिए एक आदर्श बन गई। देश में अन्य स्थानों की भांति गुजरात के खेड़ा जिले में निजी विक्रेताओं द्वारा दूध लिया जाता था। दूध विक्रेता कम और असान्य मूल्य भुगतान और मापन तथा दूध के उत्पादन के लिए कम प्रोत्साहन देकर दूध उत्पादकों का शोषण किया करते थे। अन्ततः जिले के कृषकों ने इन निजी विक्रेताओं के स्वार्थी क्रियाकलापों के विरुद्ध हड़ताल करने का निर्णय लिया और बड़ी मात्रा में अपने दूध के प्रापण और विपण के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों की नींव रखी। यह शुरुआत स्वर्गीय सरदार वलभ्भ भाई पटेल और मोरार जी देसाई जैसे योग्य नेताओं के परामर्श से हुई। कुछ ग्राम समितियाँ इतनी सुव्यवस्थित रुप से संयुक्त हुई और आनंद में खेड़ा जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के नाम से गठित हुई जो अब अमूल के नाम से सुविख्यात है।

दुग्ध उत्पादकों द्वारा डेरी व्यवसाय का प्रबन्ध स्वंय करने की अवधारणा 'खेड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ और अमूल आनन्द पद्धति के नाम से विख्यात ठोस विकास साधन के रुप में उभर कर सामने आई।'

गाँवों में आनन्द पद्धति में प्राथमिक इकाई दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ – एक गाँव में दूध की एक स्वंयसेवी संस्था है। जो लोग अपने दूध की सामूहिक रुप से बिक्री करना चाहते हैं, वे सहकारी संघ के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यों की आम सभा में, प्रबन्धन समिति के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है जो दूध को एकत्रित करने और इसकी वसा की जाँच करने, पशु चारे की बिक्री आदि जैसे दिन–प्रतिदिन के कार्यों का प्रबन्ध करते हैं। प्रत्येक संघ कृत्रिम गर्भाधान (ए.आई) सेवाएं और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

प्रत्येक दुग्ध उत्पादक के दूध की जाँच की जाती है और दूध की गुणवत्ता के आधार पर भुगतान किया जाता है। सामान्यतः प्रातः के दूध का भुगतान सांय को किया जाता है और

सांय के दूध का भुगतान अगली प्रातः किया जाता है। ग्राम समितियाँ पौष्टिक संतुलित मिश्रित पशुचारे का विक्रय भी करती है। इसका उत्पादन निजी संयंत्र मालिकों द्वारा किया जाता है और प्रचालन जिला स्तर संघ द्वारा किया जाता है। संतुलित पशुचारे की बिक्री बिना लाभ हानि की जाती है।

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियां एक जिला संघ से संबद्ध होती है जो एक सम्भरक संतुलन दूध संयंत्र और पशु चारा संयंत्र का स्वामित्व/परिचालन करती है और वीर्य के उत्पादन और वितरण की सुविधाएँ प्रदान करती है। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नियमित एवं आपात सेवाएँ प्रदान करने के लिए पशु चिकित्सा नेटवर्क भी चलाती है। ग्राम समिति संघ के बोर्ड के निदेशकों का चुनाव कराती हैं जिनका उत्तरदायित्व दूध उपार्जन केंद्र, संसाधन और उत्पादों की बिक्री के लिए संघ की सब सुविधाओं का दिन प्रतिदिन के प्रबन्ध करना होता है। प्रत्येक संघ एक प्रबन्ध निदेशक द्वारा व्यवसायिक रुप सें प्रबन्ध करता है, जो चयनित अध्यक्ष और बोर्ड के निदेशकों को रिपोर्ट करता है संघ द्वारा चलाए जाने वाले दुग्ध संयंत्र के पास मौसम के शेष बचे दूध को सूखे पाउडर में बदलने और अन्य उत्पादनों को सुरक्षित करने के लिए सामान्यतः दूध सुखाने का अपना संयंत्र होता है। इसी क्रम में सभी दुग्ध संघ एक परिसंघ के रुप में संगठित होते है।

ii) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

1964 में उस समय के भारत के प्रधान मंत्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने सरकार की सहायता से एक 'निकाय' स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की जो डेरी सहकारी समितियों की आनंद पद्धति को देश के अन्य भागों में प्रतिवलित करेगी। अतः कृषि और सिचांई मंत्रालय, भारत सरकार ने समिति पंजीकरण अधिनियम – सितंबर 1965 में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना की। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- डेरी उद्योग, पशु–पालन, खाद्य और कृषि, मछली–पालन और शीतागार से संबंधित जनोपयोगी परियोजनाओं को प्रोन्नत करना।
- अनुरोध करने पर दुग्ध उत्पादन, दुग्ध तकनीकी सहायता और दुग्ध उर्पाजन, संसाधन तथा वितरण में वृद्धि के लिए आवश्यक सूचना, कौशल तथा तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- प्रारंभिक औचित्य अध्ययन करना, योजना की रुपरेखा बनाना तथा परिचालन करना।
- कार्मिकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन द्वारा डेरी और संबद्ध परियोजनाओं के लिए मानव शक्ति विकास सेवाएं प्रदान करना।
- उपकरणों का चयन करने और बड़ी मात्रा में उपार्जन सेवाएं लेने के लिए सहायता करना।
- एन डी डी बी और अन्य बाहरी संगठनों के अनुसंधान के आधार पर डेरी और संबद्ध प्रचालनों के क्षेत्र में नियोजन, नियंत्रण, जिसमें गुंणवत्ता नियंत्रण, व्यवस्था और बिक्री भी शामिल है, पर आवश्यकतानुसार परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- अन्य राष्ट्रीय डेरी बोर्ड और अन्तरराष्ट्रीय एजन्सियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय संपर्क

संस्थान के रुप में कार्य करना और सूचना और कार्मिकों के आदान प्रदान को सुसाध्य बनाना तथा अन्य देशों की डेरी विकास में सहायता करना, और

- डेरी उद्योग और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करना।

iii) ऑपरेशन फ्लड (ओ.एफ) के तीन चरण

ऑपरेशन फ्लड (ओ.एफ–I) के प्रथम चरण की रुपरेखा मूलतः पाँच वर्ष की अवधि (जुलाई 1970 – अगस्त 1975) के लिए कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई थी। किन्तु इसे 31 मार्च 1979 तक बढ़ाया गया। ओ.एफ–I का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उत्पादित दूध की बाढ़ लाना और नदियां बहाना और भारतीय डेरी उद्योग के विकास की नीवं रखना था। ऑपरेशन फ्लड के दूसरे चरण को अक्टूबर, 1979 से आरम्भ किया गया, जबकि एफ. ओ–I अभी चल रहा था और 31 मार्च, 1981 को समाप्त होना था। ओ.एफ–II की रुपरेखा ओ.एफ–I के आधार पर दूध और दूध उत्पादनों की राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक आधुनिक और व्यवहार्य डेरी उद्योग सृजित करने पर बनाई गई। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण (ओ.एफ–III) 1 अप्रैल 1985 को ओ.एफ–I और ओ. एफ–II के अन्तर्गत सृजित व्यापक प्रापण, प्रक्रियन और विपणन संरचना को समेकित करने के लिए आरम्भ किया गया। और अंततः यह 31 मार्च 1996 को पूर्ण हुआ।

ओ.एफ–I का वित्त पोषण भारत को विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यु.एफ.पी), संयुक्त राष्ट्रीय संघ (यू.एन.ओ) की एजेन्सी कृषि और खाद्य संगठन (एफ.ए.ओ) द्वारा दानस्वरुप प्राप्त 126000 एम टी स्प्रेटा दूध पाउडर और 42000 एम टी बटर आयल की बिक्री से प्राप्त अनुदान से किया गया। 1970 में ओ.एफ–I को वर्ष 1970–71 से 1974–75 पाँच वर्षों के लिए मूल आबंटन रु. 95.40 करोड़ किया गया था। तत्पश्चात् इसे संशोधित कर रु. 116.54 करोड़ कर दिया गया। दानस्वरुप प्राप्त डेरी उत्पादों की बिक्री से अर्जित निधि कार्यक्रम आरम्भ होने से 31 मार्च, 1981 तक रु0 114.68 करोड़ थी। इस अवधि में वास्तविक वितरण 116.55 करोड़ था। दानस्वरुप प्राप्त उत्पादों को आई.डी.सी. द्वारा भारत सरकार की ओर से प्राप्त और बेचा गया, जैसा कि पहले कार्यक्रम के लिए वित्त पोषित एजेन्सियों का उल्लेख किया गया। आई.डी.सी द्वारा निधि को प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेन्सियों को 30% अनुदान और 70% ऋण के रुप में वितरित किया गया।

ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य

ऑपरेशन फ्लड की आरंभिक कल्पना दुग्ध विपणन परियोजना के रूप में भारत वर्ष के चार महानगरों मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई के तरल दुग्ध बाजार के एक महत्वपूर्ण भाग को अभिग्रहण करने के लिए आधुनिक डेरी संयंत्रों को समर्थ बनाने के लिए की गई थी। इस लक्ष्य को इन चार महानगरों के ग्रामीण दूध संभर में दूध की एक वास्तविक 'प्रचुरता' लाकर और उत्पादक स्वामित्व और नियंत्रित सहकारी व्यवस्था के द्वारा प्रापण, प्रसंस्करण और विपणन द्वारा प्राप्त करना था। अन्ततः ओ.एफ के लक्ष्य का विस्तार किया गया इसमें आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करवा कर प्रजनन, चारा, स्वास्थ्य देखभाल और दुधारु पशुओं के प्रबन्धन की संशोधित प्रणाली लागू करके डेरी फार्म के स्तर में सुधार को शामिल किया गया। ऑपरेशन फ्लड को एक एकीकृत उपागम के माध्यम से निम्नानुसार लिया गया :

209 (1000)

- नगर डेरियों का विस्तार
- चारों महानगरो में नई डेरियां
- भण्डारण और लंबी दूरी का परिवहन
- ग्रामीण डेरी प्रसंस्करण
- नगर के पशुओं की पुर्नस्थापना
- दूध उत्पादन वृद्धि निवेश
- उन्नत दुधारु पशु
- ग्रामीण दुग्ध उपार्जन का संगठन
- परियोजना कार्यप्रणाली और मानव शक्ति विकास
- उतारना, भण्डारण, परिवहन और केन्द्रीय पूल

यद्यपि कार्यक्रमों के लिए प्राप्त दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता और निरन्तरता के संबंध में कई कठिनाईयाँ आई तथापि इस कार्यक्रम को वित्त पोषित करने के लिए आई.डी.सी. को अपनी बिक्री से पर्याप्त द्रव्यता और सुरक्षित भंडार और स्वतन्त्रता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम से भारत सरकार के संसाधनों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के प्रशासकों ने इस प्रकार की सहायता के अनुभव से कई लाभदायक सीखे ग्रहण की और इसी आधार पर दानस्वरुप प्राप्त उत्पादों की प्राप्ति की प्रक्रिया को संशोधित किया गया। ओ.एफ–II के लिए दाताव्य वस्तुएं दाताओं से सीधे ली गई न कि किसी मध्यस्थ द्वारा जैसा कि ओ.एफ–I के विषय में था और प्राप्तकर्त्ता और दाता के बीच आमने–सामने व्यक्ति से व्यक्ति के रूप में लेन–देन किया गया। ओ.एफ–II में रु0 488.51 करोड़ का एक मूल व्यय था। यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी) ने 1,86,000 एम टी का स्प्रेटा दूध पाउडर और 76,000 एम टी बटर ऑयल देकर सहायता प्रदान की, विश्व बैंक ने आसान शर्तों पर लगभग 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋणस्वरुप प्रदान किए। ओ. एफ–II भारत सरकार द्वारा रु0 273 करोड की लागत के साथ छठी योजना द्वारा कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन किया गया। ओ.एफ–IV का निवेश रु0 1303.1 करोड का था जिसे 1095.4 करोड़ विश्व बैंक और यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी) की बाहरी सहायता और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अपने संसाधनों से रु. 207.7 करोड प्राप्त हुआ।

ओ.एफ–III सातवीं और आठवीं योजना अवधि में मुख्य डेरी विकास कार्यक्रम के रुप में चलता रहा। इस कार्यक्रम में अधिक बल देश में एक व्यापक स्तर पर डेरी विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने और दूध के प्रापण एवं विपण में आने वाले मौसमी उतार–चढ़ाव को संतुलित करने के राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड (एन.एम.जी.) को और प्रभावशाली बनाने पर रहा चार महानगरों और अन्य नगरों में विशेषकर अपर्याप्त उत्पादनशील मौसम में दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सड़क/रेल दूध टैंकर उपलब्ध कराए गए। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की कार्रवाई को सुसाध्य बनाने के लिए भण्डारण सुविधाएँ दी गई (33,750 मि.ट. दूध पाउडर और 4,280 मि.ट. बटर ऑयल) यह ग्रिड माँग और आपूर्ति की

अन्तः क्षेत्रीय कमी में भी सहायता करता है। दूध और दूध उत्पादों की वृद्धि से भारत सरकार ने एन.डी.डी.बी. को एक एजेन्सी के रुप में दूध और दूध उत्पादों की घरेलु कीमतों को स्थिर रखने और भारतीय दुग्ध उत्पादों के लिए निर्यात की संभावना का पता लगाने के लिए मान्यता दी।

भारत सरकार के अनुरोध पर अन्तरराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आई.डी.ए.) जो विश्व बैंक से संबद्ध है ने तीन दुग्ध परियोजनाओं केरल, राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्यों को वित्त पोषित किया। ओ.एफ–I की भाँति इन परियोजनाओं ने भी दुग्ध विकास के अमूल प्रतिरूप का अनुकरण किया।

ऑपरेशन फ्लड की मुख्य उपलब्धियाँ: ओ.एफ परियोजनाओं ने 1995–96 के अन्त तक देश में 21 राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के 267 जिलों को सम्मिलित करके 170 दुग्धसंभरों में उपयुक्त कार्य किया। ओ.एफ कार्यक्रम में मूलतः अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों को ओ.एफ कार्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार किया गया। इस कार्यक्रम में 92.69 लाख दुग्ध उत्पादक परिवारों ने भाग लिया और देश में 72.5 हजार ग्राम स्तरीय दुग्ध उपभोक्ता सहकारी समितियाँ (वी.एम.पी.सी.एस) स्थापित की गई।

31 मार्च, 1996 (ओ.एफ–III के अन्त में) ऑपरेशन फ्लड के अन्तर्गत दूध का औसत उपार्जन ओ.एफ–II के अंत में उत्पादन की तुलना में लगभग दो गुणा बढ़ गया। यही गति ओ.एफ–II की अवधि में भी बढ़ी। ओ.एफ और आई.डी.ए. सहायता प्राप्त परियोजना क्षेत्र में 1980–81 के आधार वर्ष से सोलह वर्ष की अवधि के काल में औसतन 20% प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई। 1995–96 के अन्त में ओ.एफ दुग्धसंभरों में कुल दूध प्रक्रियन क्षमता 21.97 करोड़ प्रतिदिन पहुँच गई। यह वार्षिक वृद्धि ओ.एफ (1980–81) के अन्त से 14% प्रतिवर्ष से अधिक थी। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की बहुत सी दुग्धसंभरों में विशेषकर चरम आवश्यकता के महीनों में दूध की क्षमता में कमी आने के कारण दूध के प्रवाह को नियन्त्रित करने के लिए दूध के उपार्जन को रोक दिया जाता था। कुल मिलाकर ओ.एफ–III के अन्त में ओ.एफ के अन्तर्गत चरम आवश्यकता के महीने (जनवरी 1996) में संसाधन क्षमता उपयोग लगभग 67% और 55% प्रतिवर्ष आधार पर रिकार्ड किया गया।

वर्तमान में, देश के कुल 3700 नगरों और शहरों में से 778 नगरों (175 मेट्रो और प्रथम श्रेणी के नगरों सहित) में ओ.एफ. डेरियों के अपने दुग्ध वितरण नेटवर्क है। मार्च 1995 के अन्त में मेट्रो नगरों में सभी स्रोतों से तरल दूध की आपूर्ति औसतन 9.40 करोड़ लीटर थी जिसमें ओ.एफ. द्वारा व्यवस्थित डेरी सहकारी क्षेत्र का योगदान 3.47 करोड लीटर था। 1994–95 में, ओ.एफ. परियोजना ने लगभग 2,68,000 मी. टन दुग्ध पाउडर (एस.एम. पी., डब्ल्यु.एम.पी. बेबी फूड सहित) 40,000 मी. टन मक्खन और 1,30,000 मी. टन घी का उत्पादन किया। देश में दुग्ध पाउडर बनाने की क्षमता 1970 में 58.50 प्रति एम टी से बढ़कर 1995–96 में 842 मी. टन प्रतिदिन हो गई और विदेशी आयतित दूध पाउडर 1970 में 19.0 हजार मी. टन से घटकर 1993 में 0.7 हजार मी. टन हो गया।

209 (1000)

आपरेशन फ्लड की उपलब्धियाँ, 1970–2002

अवस्थाऐं

सूचकांक	Phase I	Phase II	Phase III	Post-Of phase
आरंभ	July 1970	October 1979	April 1985	April 1986
समाप्ति	March 1981	March 1985	March 1996	March 2002
निवेश (मिलियन रु.)	1,165	2,772	13,031	
कार्यरत दुग्ध संघों/ शीर्ष दुग्ध सभाओं	10	18	22	22
अपनाये गये दुग्ध संभर	39	136	170	170
स्थापित की गई डेरी सहकारी समितियाँ (हजारों)	13.3	34.5	72.5	74.3
सदस्यों की संख्या (मिलियन)	1.75	3.63	9.26	11.06
औसत दूध प्रापण (मिलियन किग्रा./दिन)	2.56	5.78	10.99	17.60
तरल दूध का विपणन (मिलियन लिटर/ दिन में)	2.79	5.01	10.02	12.67
प्रसंस्करण क्षमता				
ग्रामीण डेरियाँ (मिलियन लिटर दिन)	3,58	8.78	18.09	26.47
महानगर डेरियाँ (मिलियन लिटर/दिन)	2.9	3.5	3.88	NA
दुग्ध शुष्कन क्षमता (मि.टन/दिन)	261.0	507.5	842.0	990.0
तकनीकी निवेश				
कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या (हजारों में)	4.9	7.5	16.8	22.0
कृत्रिम गर्भाधान किये गये (मिलियन/दिन)	0.82	1.33	3.94	6.00
पशु चारा क्षमता (हजार मि.टन/ दिन)	1.7	3.3	4.9	5.2

Source: *www.amul.com/achievementsdairycoop.html*

iv) डेरी विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन

आपरेशन फ्लड के प्रयासों का अवलम्बन देने और अनुपूरित करने के लिए इसमें डेरी विकास द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करने और लाभार्जन करने के उद्देश्य से देश के 264 जिलों में अगस्त 1988 में भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी मिशन का समारंभ किया। इस मिशन के उद्देश्य ग्रामीण स्वरोजगार गति को तेज करने, सहकारिता पर आधारित डेरी विकास द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार व आय वृद्धि को गति देने, आधुनिक प्रौद्योगिकी को स्वीकारने एवं प्रयोग करने को गति देकर डेरी व्यवसाय की उत्पादकता में व्यापक वृद्धि करना, दूध एवं दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि करना और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे पशुपालन गरीबी उन्मुलन, आई आर डी पी आदि कार्यक्रमों को अनुपूरित करना और केंद्रीय सरकार के शोध संस्थानों कृषि विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के शोध कार्यों को अनुकूल परिणाम के लिए अनुपूर्ति करना। टी एम डी डी का समापन 1997 में हुआ। हालांकि आंठवी पंचवर्षीय योजना में डेरी प्रौद्योगिकी का अधिकांश लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया तथापि डेरी उद्योग को अनेक क्षेत्रों में अपनी कार्यकुशलता सुधारने की आवश्यकता है। भारतीय गायों तथा भैंसो की उत्पादकता, पशु रोगों पर नियंत्रण और उनकी रोकथाम पशुओं से संबंधित आंकड़ो का व्यवस्थापन और विश्वसनीयता में वृद्धि डेरी उत्पादों के उच्च गुणवत्ता मानकों को लागू करना आदि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जिनमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

v) बी ए आई एफ विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान

मार्च 1946 – भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय–राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उर्लीकंचन गांव जो कि पूना के पास एक अविकसित गांव था में अल्पकालीन ठहराव सामुदायिक विकास का संक्रातिकाल सिद्ध हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य प्रवर्तक एक वास्तविकता के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना से जिसका प्रबंधन उनके विश्वस्त अनुयायी मणीभाई देशाई के हाथ में था।

मणीभाई के सम्मुख गांव का एक भयावह दृश्य प्रस्तुत था। यहाँ बेरोजगारी एवं अपूर्ण रोजगार गरीबी के मुख्य कारण थे। मणीभाई ने लाभ जनक कार्यों को विकास के मुख्य मोर्चे के रूप में लिया। अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों, सब्जी और फलों की किस्मों का उगाना उनका प्रथम साहसिक कदम था। तथापि उन्होंने अनुभव किया कि ये प्रौद्योगिकियां केवल समृद्ध कृषकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और अमीर और गरीब के बीच का अंतर और बढ़ेगा।

उन्होंने गिर नस्ल की सर्वोत्तम गायों के एक गोवृन्द का अनुरक्षण किया। यद्यपि गोवृन्द ने अनेक चैंपियन गायों को जन्म दिया तथापि इस नस्ल की अनुवांशिक खामियों के कारण डेरी को हानि उठानी पड़ी। इसके कारण उनको एकमात्र ऐसे प्रयोग के लिए प्रेरित किया जिससे गिर नस्ल के साथ अज्ञात नस्ल की गायों का विदेशी नस्ल की गायों के साथ संकरण होता था। नयी जन्मी शंकर गायें अपनी मां से 10 गुणा अधिक दूध देने में सक्षम थी। अज्ञात नस्ल की गायें पालने वाले अधिकांश गरीब कृषक पशु विकास के कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक थे।

ग्रामीण समाज के प्रोत्साहन से प्रेरित होकर मणीभाई ने भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रतिष्ठान (बी ए आई एफ) की स्थापना उर्लीकंचन में 1967 में अपने ग्रामीण विकास के अभिनव

प्रयोग को दोहराने के लिए की। बाद में इसका नाम बी ए आई एफ विकास शोध प्रतिष्ठान रखा गया।

बोध प्रश्न 2

1) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई तथा इसके लक्ष्य क्या थे?

.....

.....

.....

.....

.....

2) ऑपरेशन फ्लड के तीन चरणों के नाम और उनके आरंभ होने की तारीख बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

3) ऑपरेशन फ्लड के कार्यान्वयन में विभिन्न कार्रवाई मदों की चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

4) टी.एम.डी.डी. किस दिन आरम्भ हुई थी और किस दिन समाप्त हुई।

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 भारत में डेरी उद्योग की वर्तमान स्थिति

देश में चल रहे सभी विकास क्रियाकलापों से भारत श्वेत क्रांति क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है।

i) दुग्ध पाउडर का उत्पादन और आयात

हमने दूध और दूध उत्पादों का आयात न केवल पूर्णतः बंद कर दिया है बल्कि निर्यात आरंभ कर दिया है। दूध और दूध उत्पादों के आयात के आँकडें दर्शातें हैं कि 1960–61 में भारत ने 18.79 हजार मी. टन संपूर्ण दूध पाउडर और व्यवसायिक दूध पाउडर का आयात किया है जो 1961–62 में बढ़कर 53.86 हजार मी. टन हो गया है। यह 34 हजार मी. टन से बढ़कर 53 हजार मी. टन हो गया है और 1969–70 में से बढ़कर 31 हजार मी. टन पाया गया। उस समय से आगे केवल ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत का उपहारस्वरुप स्प्रेटा दूध पाउडर और बटर ऑयल को छोड़कर आयात लगभग नगण्य रहा। उल्लेखनीय है कि 1967–68 (13.23 हजार मी. टन) में हमारा अपना उत्पादन आरंभ हुआ और 1979–80 में बढ़ता चला गया हमने 64,000 मी. टन दूध पाउडर का उत्पादन किया।

ii) दुग्ध उत्पादन

1950–51 के अन्त में कुल दूध उत्पादन 17.0 करोड टन था, 1960–61 में 20.0 करोड टन, 1970–71 में 22.0 करोड टन हो गया। 1980–81 में यह 31.6 करोड टन था अर्थात दूध के उत्पादन में प्रतिवर्ष 3.6% वृद्धि हुई। 1969–70 के बाद, विशेषकर 1992–93 के बाद दुग्ध उत्पादन में बड़ी तीव्रता से वृद्धि हुई, जब वृद्धि दर 4.5% प्रति वर्ष सुनिश्चित थी। यह वृद्धि आज तक प्रायः इसी क्रम में बनी हुई है।

iii) प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता

1950–51 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 125 ग्राम थी। किन्तु जनसंख्या में वृद्धि जोकि दूध उत्पादन से तीव्र थी, के कारण यह 1970–71 में 112 ग्राम हो गई और 1980–81 तक कम होती चली गई। विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा आरंभ किये गये विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ने परिणाम दर्शाये और प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 176 ग्राम (1990–91) हो गई। पाँच वर्षों के अंदर, प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 223 ग्राम (2000–01) हो गई। दुग्ध उत्पादन के साथ–साथ प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ती गई और 2001–05 में 226 ग्राम के आँकड़े को छू गई। ऐसा अनुमान है कि इसी वृद्धि से दर 2004–05 में यह आँकड़ा 232 ग्राम (तालिका 1.1) के आसपास हो सकता है। भारत सरकार की मानव पोषण समिति द्वारा प्रति व्यक्ति आवश्यक उपलब्धता 250 ग्राम है।

iv) पशु संख्या में वृद्धि की पद्धति

दुग्ध उत्पादन और उसके बाद प्रति व्यक्ति उपलब्धता को विभिन्न प्रयासों और विकास कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया गया। यद्यपि पशु संख्या भी बढ़ी, परन्तु दुग्ध उत्पाद और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में बढ़ी तेजी से वृद्धि हुई। इसे तालिका 1.2 में देखा जा सकता है कि 1993 की अपेक्षा 2003 में पशु वृद्धि दर नकारात्मक रही। भैंसों के मामले में यह 1997 में 8.70 प्रतिशत की अपेक्षा 2003 में 1.78 प्रतिशत प्रति वर्ष थी।

तालिका 1.1: दुग्ध उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध (करोड़ टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्रा./दिन)
1950–51	17.0	124
1960–61	20.0	124
1970–71	22.0	112
1980–81	31.6	128
1990–91	53.9	176
2000–01	81.43	223
2001–02	84.57	226
2002–03	86.7	230
2003–04	88.1	231
2004–05	91.0	232

यह दर्शाता है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि पशु संख्या की वृद्धि के कारण नहीं हुई है बल्कि पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि से हुई है किन्तु हमारे पशुओं के दूध का उत्पादन अभी भी पश्चिमी देशों से कम है।

तालिका 1.2: पशुसंख्या में वृद्धि की पद्धति

क्रम. सं	जाति	पशुसंख्या		पाँच वर्षों में वृद्धि दर	वार्षिक वृद्धि दर
		1997	2003	1997 की अपेक्षा 2003	
1.	पशु	198.88	185.18	– 6.89	– 1.38
2.	भैंसे	89.91	97.92	8.90	1.78
3.	भेड़	57.49	61.47	6.91	1.38
4.	बकरी	122.72	124.36	1.33	0.27
5.	सुअर	13.29	13.52	1.72	0.34
6.	अन्य	3.09	2.55	– 17.47	– 3.49
	कुल पशुधन	**483.38**	**485.00**	**– 0.80**	**– 0.02**

बोध प्रश्न 3

1) वर्ष 2004–2005 के अन्त में कुल उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी?

.....

.....

.....

.....

.....

2) गाय और भैंसो की संख्या की वृद्धि दर बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

1.6 सारांश

पशुधन संपत्ति का उदभव उतना ही पुराना है जितना मानव समाज का विकास। विश्व की जनसंख्या में 25% भाग भारत का है जबकि उस का दुग्ध उत्पादन 14.20% है। देश में विश्व की जनसंख्या का लगभग 16% गायें, 57% भैंसे, 17% बकरियाँ और 5% भेड़े हैं और यह गाय और भैंसों में प्रथम श्रेणी, बकरियों में दूसरी, और भेड़ों में तीसरी श्रेणी में आता है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 6.5% योगदान पशुधन का है। स्पष्ट अनुमान के लिए विकास क्रियाकलापों का तीन चरणों में अध्ययन किया जा सकता है जैसे पूर्व योजना, पश्च–योजना 1969–70 और 1970 के उपरान्त। पूर्व–योजना अवधि में बहुत अधिक कार्य नहीं किया गया था केवल कुछ कमीशन नियुक्त करने के जिन्होंने ब्रिटिश सैन्य दल/कार्मिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध दूध की आपूर्ति के लिए कुछ सैनिक फार्म बनाने की सिफारिश की। सहकारी और निजी क्षेत्रों में कुछ डेरियाँ स्थापित की गई।

स्वतन्त्रतोत्तर अवधि अर्थात 1947 से 1970 में निजी क्षेत्र में विकास कार्यक्रम जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, शीर्षस्थ ग्राम योजना और गहन पशु विकास परियोजना आरम्भ की गई। बहुत से गैर सरकारी संगठन जैसे गोसदन योजना, गौशाला और पिंजरपोल, केन्द्रीय गोसावर्धन परिषद् आदि ने डेरी उद्योग और पशुपालन के विकास में अपना योगदान दिया। बहुत से अन्य संगठनों जैसे आई.सी.ए.आर., एन.डी.आर.आई., और आई.वी.आर.आई. ने भी अपना सकारात्मक योगदान दिया। विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संगठनो जैसे यूनिसेफ, एफ.ए.ओ., केयर, ऑक्सफम, ओसर परियोजना, फॉर दोस हु हेव लेस, आई.डी.एफ./डी.एस.आई. ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। बहुत से अन्य देशों ने अपनी क्षमतानुसार भारत में डेरी उद्योग के विकास के लिए अपना योगदान दिया।

209 (1000)

औचित्य : व्यवहार।

मानवशक्ति : जनसंख्या के रूप में उपलब्ध संसाधन।

बी ओ : बटर ऑयल।

एस एम पी : स्प्रेटा दूध पाउडर।

ई ई सी : यूरोपियन आर्थिक समुदाय।

वी एम सी सी एस : ग्रामीण स्तरीय दूध उपभोक्ता सहकारी समिति।

1.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Khurody, D.N. (1974). *Dairying in India*, Asia Publishing House, New Delhi.

John, P. (1975). *Economics of Dairy Development*, Parbhat Parkashan, Patna (Bihar)

NDDB, ANAND, *Extension Material/pamphlets* (Published from time to time).

Govt of India, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry & Dairying (1998, 1999, 2000, 2001) *Basic Animal Husbandry Statistics*.

Govt. of India, Five Year Plans.

17th Livestock Census Report. (2003). Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry & Dairying.

1.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

आपके उत्तर में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:

बोध प्रश्न 1

1) • सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र
   • अनुसंधान संस्थान्/कृषि विश्वविद्यालय
   • गैर–सरकारी संगठन
   • अन्तरराष्ट्रीय सहायता और विदेशी एजेन्सियाँ तथा देश

2) सामुदायिक खंड विकास कार्यक्रम के निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रियाकलाप: (i) कृषि (ii) पशुपालन, (iii) सिंचाई, (iv) संचार, (v) स्वास्थ्य, (vi) शिक्षा, (vii) पूरक रोजगार, (viii) आवास, (ix) प्रशिक्षण, और (x) समाज कल्याण।

3) • गोसदन योजना

- गोशाला और पिंजरपोल
- केन्द्रीय गोसमवर्धन परिषद
- आई सी ए आर
- एन डी आर आई

4) यूनिसेफ, एफ ए ओ, केयर, ऑक्सफाम और ओसर गाय परियोजना।

बोध प्रश्न 2

1) एनडीडीबी की स्थापना सितंबर 1965 में समिति पंजीकरण अधिनियम के अर्न्तगत हुई। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं।

- डेरी उद्योग, पशु–पालन, खाद्य और कृषि, मछली–पालन और शीतागार से संबंधित जनोपयोगी परियोजनाओं को प्रोन्नत करना।
- अनुरोध करने पर दुग्ध उत्पादन, दुग्ध तकनीकी सहायता और दुग्ध प्रापण, संसाधन तथा वितरण में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक सूचना, कौशल तथा तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन करना, योजना की रुपरेखा बनाना तथा परिचालन करना।
- कार्मिकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन द्वारा डेरी और संबद्ध परियोजनाओं के लिए मानव शक्ति विकास सेवाएं प्रदान करना।
- उपकरणों का चयन करने और बड़ी मात्रा में प्रापण सेवाएं लेने के लिए सहायता करना।
- एन डी जी बी और अन्य बाहरी संगठनों के अनुसंधान के आधार पर डेरी और संबद्ध प्रचालनों पर नियोजन, नियंत्रण जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण, व्यवस्था और बिक्री भी शामिल है, पर आवश्यकतानुसार परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय एजन्सियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय संपर्क संस्थान के रुप में कार्य करना और सूचना और कार्मिकों के आदान प्रदान को सुसाध्य बनाना तथा अन्य देशों के डेरी विकास में सहायता करना।
- डेरी उद्योग और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करना।

2) ऑपरेशन फ्लड–1 – जुलाई, 1970

ऑपरेशन फ्लड–2 – अक्तूबर, 1979

ऑपरेशन फ्लड–3 – अप्रैल, 1985

3) • नगर डेरियों का विस्तार

- चार महानगरों में नई डेरियां
- भण्डारण और लम्बी दूरी के वाहन
- ग्रामीण डेरी प्रसंस्करण
- नगर में रखे जाने वाले पशुओं की पुर्नस्थापना
- दूध उत्पाद वृद्धि के लिए निवेश
- उन्नत दुधारू पशु
- ग्रामीण दुग्ध उपार्जन का संगठन
- परियोजना, नियोजन और मानवशक्ति विकास
- माल उतारना; भण्डारण, परिवहन और केन्द्रीय पूल

4) टी एम डी डी अगस्त 1988 में आरंभ हुई और मार्च 1997 में समाप्त हुई।

बोध प्रश्न 3

1) कुल दुग्ध उत्पादन – 91 मिलियन टन

प्रति व्यक्ति उपलब्धता – 232 ग्राम

2) दुग्ध के उत्पादन में और वृद्धि की गई और उसके पश्चात् प्रति व्यक्ति उपलब्धता को विभिन्न प्रयासों और विकास कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया गया। यद्यपि गोजातीय संख्या में भी वृद्धि हुई, किन्तु दुग्ध उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसे तालिका 1.2 से देखा जा सकता है कि पशु 2003 में वृद्धि दर 1997 की तुलना में नकारात्मक रही। भैंसों के मामले में, यह 1997 की तुलना में 2003 में 1.78 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 8.90 प्रतिशत थी। यह सब दर्शाता है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि पशु संख्या में वृद्धि होने के कारण नहीं हुई तथापि पशुओं के दूध के उत्पादन में वृद्धि होने से हुई है, किन्तु पशुओं के दूध का उत्पादन अभी भी पश्चिमी देशों से कम है।

इकाई 2 डेरी सहकारी समितियाँ

संरचना

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 सहकारी समितियों का इतिहास

2.3 सहकारिता के सिद्धान्त

- मुक्त एवं स्वैच्छिक सदस्यता
- लोकतांत्रिक शासन
- निष्पक्षता राशि पर सीमित लाभ
- अधिशेष राशि का समतुल्य वितरण
- सहकारी समितियों में आपसी सहयोग
- सहकारी शिक्षा

2.4 भारतीय सहकारी समिति अधिनियम

2.5 भारत में सहकारिता आन्दोलन

- आनन्द पद्धति पर आधारित सहकारी समितियाँ
- डेरी विकास में सहकारी समितियाँ

2.6 डेरी सहकारी समितियों की त्रि–सोपानिक संरचना

2.7 डेरी संघ

- भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ

2.8 राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड

2.9 सारांश

2.10 शब्दावली

2.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् हम जान सकेंगें :

- सहकारिता का इतिहास और सिद्धान्त;
- सहकारिता की आनन्द पद्धति और उसके कार्य की रुपरेखा;
- सहकारी समितियाँ किस प्रकार बनाई गई;

- सहकारिता की त्रि–सोपानिक व्यवस्था;
- दुग्ध संघ और उसकी भूमिका;
- भारत में राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध संघ (एन सी डी एफ आई); तथा
- राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड के उद्देश्य।

2.1 प्रस्तावना

सहकारिता की अवधारणा प्रकृति से उत्पन्न हुई। हम सहकारिता को एक शरीर में देख सकते हैं, जब शरीर के अलग–अलग अंग एक साथ क्रिया कर कुछ कार्य करते हैं। सहकारिता के बिना कोई जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकता। मानव इतिहास में आरम्भ से ही सहयोग अत्यन्त माननीय मूल्यों में रहा है अन्यथा विश्व के सभी धर्म और नैतिक व्यवस्थाएँ प्रतिबलित हो जाती।

सहकारी शब्द की उत्पत्ति शब्द 'को–ऑपरेरी', मिलकर कार्य, परिश्रम और क्रिया करना और कुछ सार्वजनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। दूसरे शब्दो में सहकारिता सभी व्यक्तियों के हितों को पूरा करने की एक सामूहिक कार्रवाई है। वेबस्टर विश्व शब्दकोश ने सहकारिता को एक सार्वजनिक हित के लिए बहुत से व्यक्तियों के एक संगठन के रुप में परिभाषित किया जबकि चैंबर्स कंसाइस 20वीं सेंचरी शब्दकोश ने इसे संयुक्त कार्रवाई के साथ जोड़ा। सामाजिक विज्ञान के अन्तरराष्ट्रीय विश्वकोश में सहकारिता को संयुक्त या सहयोग के रुप में परिभाषित किया जो प्रतिफल के लिए कुछ लक्ष्य/सार्वजनिक हित अथवा आशा के प्रति निर्देश करता है। सामाजिक विज्ञानियों ने सहकारिता को विभिन्न रुपों में परिभाषित किया है।

फेय, सी.आर. के अनुसार यह 'कमजोर व संयुक्त व्यापार, संगठन के प्रयोजन के लिए है जिसे सदैव निस्वार्थ हृदय से आयोजित करना है, अथवा डिग्री के अनुसार समानुपात में प्रतिफल का अल्पावधि अंश, जिसका वे अपने संगठन के लिए प्रयोग करते है। कार्वे ने सहयोग को सभी संबंधितो के न्यायसंगत हित को प्रोन्नत करने के लिए समाजिक आधार पर एक सामान्य कार्रवाई के रुप में परिभाषित किया है।

2.2 सहकारी समितियों का इतिहास

सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन युग में 'कुला', 'ग्रामा', 'शरेनी', और 'जट्टी' नाम से चार सहकारी संस्थान थे। हमारी संयुक्त परिवार प्रथा, जिसमें अपनी भलाई के लिए परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते थे, सहकारी संस्थान का एक उत्तम उदाहरण है। इस प्रथा में (संयुक्त परिवार प्रथा) सभी सदस्य अक्षमता, बीमारी और वृद्धावस्था के प्रति सुरक्षित रहते हैं। आधुनिक युग में हम उत्पादन प्रक्रियन, विपणन और वितरण के क्षेत्र में सहयोग पाते हैं। अन्य उद्योगों/उद्यमों की भांति दूध के व्यवसाय में भी ग्रामीण स्तर पर उत्पादक सहकारी समितियाँ है जिला स्तर पर प्रक्रियण सहकारी समितियाँ जो दुग्ध संघ के नाम से जानी जाती है और राज्य स्तर वितरण सहकारी समितियाँ एक फेडरेशन के रुप में जानी जाती है।

i) सहकारी समितियों की आवश्यकता

चाहे उत्पादन हो, प्रक्रियन या विपणन सभी स्तरों पर उत्पादकों/व्यक्तियों का शोषण होता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। कृषि में यह सत्य है, व्यापारी अपनी जेब में लाभ का बड़ा हिस्सा डाल कर व्यक्ति का शोषण करता है अन्त में दुग्ध उत्पादक गरीब रह जाता है। दुग्ध व्यवसाय में भी दुग्ध उत्पादन विभिन्न वर्ग के असंख्य उत्पादकों जैसे सीमान्त लघु, मध्यम और बड़े उत्पादकों और भूमि हीन खेतीहरो/कृषि मजदूरों और दस्तकारों के हाथ में है। ये उत्पादक व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कम मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं। इसका एक भाग घर पर ही उपभोग हो जाता है और मात्र बचा दूध ही बिक्री के लिए जाता है। दूध की मात्रा कम होने के कारण उत्पादक उसका विपणन स्वयं नहीं कर पाता क्योंकि इसके लिए अधिक समय, श्रम और संसाधनों की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरुप उसे अपने उत्पादन को एक दलाल–दुग्ध विक्रेता को बेचना पड़ता है। दुग्ध विक्रेता उत्पादक को कम दाम देकर, कम तोल कर, बिना किसी राहत के, अधूरा भुगतान कर और अपनी सुविधानुसार दूध ढोकर और विशेषकर सांय के दूध को प्रापण न करके शोषित करता है। इन सभी दबावों के कारण उत्पादक मात्र उत्पादों के उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि मिलकर प्रक्रियन और बिक्री के लिए एकत्रित हुए।

सहकारी समितियाँ एकाधिकारी उत्पादकों से पीछा छुड़ाने के लिए उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी के रुप-में उपभोक्ता स्तर पर अस्तित्व में आई/इसी प्रकार अन्य स्तरों पर भी सहकारी समितियाँ अस्तित्व में आई जैसे प्रक्रियन और बिक्री/विपणन और वितरण।

ii) सहकारी समितियों के लाभ

सहकारी समितियाँ निम्नलिखित लाभों के कारण अस्तित्व में आई और अपनी जड़े मजबूत की:

- गरीब को शोषण से बचाना।
- लोगों में पहल करने, आपसी लाभ और स्वालम्बन की भावना को प्रोन्नत करना।
- मानव–संसाधनों, सामग्री और वित्त का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करना।
- उत्पादक और उपभोक्ता के बीच प्रभावकारी संबंध स्थापित करना।
- उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार।
- उपभोक्ता को उत्तम कोटि का उत्पाद अपेक्षाकृत कम दरों और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर देना।
- संसाधनो के एकीकरण के कारण पूंजी और अन्य बाहयताएं कम करना।
- बहुत से कार्यक्रम जैसे ग्राम स्तर पर उत्पादन प्रक्रिया के लिए अपेक्षित निवेशों की उपलब्धता करना और उत्पादक से उत्पादक तक अपेक्षानुसार वितरित करना।
- अपने लाभ को बढ़ाने के लिए समिति के सदस्यों को बाहरी प्रक्रिया से जोड़ना।

बोध प्रश्न 1

1) प्राचीन काल के सहकारी संस्थानो के नाम बताएं।

.....

.....

.....

.....

.....

2) सहकारी समितियों के लाभ की सूची बनाएं।

.....

.....

.....

.....

.....

3) सहकारी समितियों की संरचना पर चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 सहकारिता के सिद्धान्त

सहकारिता का मुख्य सिद्धान्त जीवन के नैतिक मूल्यों को समझने पर लक्षित हैं। सहकारिता के चार मूल सिद्धान्त निम्नलिखित हैं।

- मुक्त एवं स्वैच्छिक सदस्यता
- लोकतान्त्रिक शासन
- समानता पर सीमित लाभ
- बचत का न्यायोचित वितरण

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर संगठन के निम्नलिखित सिद्धान्त विकसित किए है।

- सहकारी समितियों के बीच सहयोग
- सहकारी शिक्षा

इन सिद्धान्तों की विश्वव्यापी महत्ता है और इन्हें विभिन्न प्रकार की स्थितियों में समझ और कुशलता से एक विचारणीय सीमा के साथ लागू किया जा सकता है। इन सिद्धान्तों को विभिन्न रुपों और परिस्थितियों में लागू करने के लिए इन सिद्धान्तों को समझना परमावश्यक है।

i) मुक्त एवं स्वैच्छिक सदस्यता

समिति की सदस्यता अपनी स्वेच्छानुसार क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मुक्त है इसके लिए मापदंड यह हो सकता है कि वह सौंपे गए उत्तरदायित्व को स्वेच्छा से स्वीकार करें। सदस्यता का अधिकार धर्म, जाति, राजनीति से संबद्ध या अन्य कृत्रिम विभिन्नताओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति को सदस्यता के लिए न इंकार किया जाए न ही किसी सामाजिक अथवा विधिक दबाव के अंतर्गत बाध्य किया जाए बल्कि समितियों का सदस्य होने और सदस्यता को बनाये रखने या वापस लेने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए।

ii) लोकतांत्रिक शासन

सहकारी समितियों के सभी सदस्य इस व्यवसाय के स्वामी है और उनका यह अधिकार और उत्तरदायित्व है कि वह इन कार्यों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता अथवा नेता जिसका उन्होंने चयन किया है, के माध्यम से संचालित करें। यदि सहकारी समितियों के व्यापार का विस्तार अथवा परिवर्तन करने के लिए और सभी सदस्यों के पास प्रतिदिन के छोटे–छोटे कामों के लिए चर्चा करने अथवा निर्णय लेने अथवा हर समय एक दूसरे को मिलने का समय नहीं होता। अतः सदस्यों को अपने बीच में से कुछ सदस्यों का चयन/चुनाव कर लेना चाहिए। सदस्यों को चाहिए, कि चयनित सदस्यों को अपनी शक्ति के प्रयोग का अधिकार दिया जाए। जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाए जो व्यवसाय संबंधी प्रत्येक मुद्दे पर निर्णय ले सके। यदि बोर्ड के सदस्यों के पास समिति के कार्य को देखने का समय न हो तो यह दायित्व महाप्रबंधक जो इस क्षेत्र के विषय–विशेषज्ञ है अथवा इस प्रयोजना के गठित उप–समिति को सौंप दिया जाए।

iii) निष्पक्षता राशि पर सीमित लाभ

सहकारी समितियाँ एक मानव संघ है जो अर्जित लाभ के लिए निर्देश देता है और इसलिए यह एक आर्थिक उद्यम है। किसी आर्थिक उद्यम को आरंभ करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। उद्यम को चलाने के लिए समिति का प्रत्येक सदस्य अपने अंश (शेयर) का योगदान करता है। समिति के सदस्यों की यह शेयर पूँजी निष्पक्षता राशि के रुप में जानी जाती है। चूँकि धन निष्पक्षता राशि के रुप में सदस्यों द्वारा निवेश की जाती है परोक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, इसलिए लाभ का आकलन करने के बाद सदस्यों को बोर्ड के निदेशकों द्वारा निर्धारित एक सीमित ब्याज/बोनस का समय–समय पर भुगतान किया जाता है।

iv) अधिशेष राशि का समतुल्य वितरण

सहकारी समिति एक आर्थिक उद्यम होने के कारण इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना, अधिशेष राशि उत्पन्न करना है। अधिशेष राशि को कई प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है जैसे पूँजी बढ़ाना, व्यापार का उसी दिशा में विस्तार करना अथवा कोई अन्य

सम्बन्धित अथवा असम्बन्धित व्यापार सदस्यों के सामान्य लाभ अथवा आनन्द और लाभांश के लिए आरंभ करना है। लाभांश सामान्यतः सदस्यों के अंशदन अथवा सोसाइटी में एक सदस्य के शेयरों की संख्या के आधार पर वितरित किया जाता है। गैर–सदस्य जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से व्यापार से जुड़े है, लाभांश के हकदार नहीं होते। अधिशेष राशि लाभांश और करों के भुगतान के बाद समिति के पास रहती है और बोर्ड निदेशकों के नियंत्रण में रहती है। वे सदस्यों के हित में जैसा चाहें इस अधिशेष राशि को प्रयोग करने का निर्णय ले सकते है। सामान्यतः इसको प्रयोग करने का एक तरीका है समिति के सदस्यों को एक निर्धारित ब्याज दर पर एक निर्धारित अवधि के लिए ऋण देना (सामान्यतः ब्याज की दर सहकारी सार्वजनिक बैंको द्वारा दी जाने वाली दरों के बराबर होती है) है।

v) सहकारी समितियों में आपसी सहयोग

सहकारी समितियाँ एक दूसरे के व्यापार और हित दोनो में व्यापक दायरे में सहयोग करने के लिए मिलजुल कर कार्य करती है।

vi) सहकारी शिक्षा

सहकारी शिक्षा से अभिप्राय सदस्यों, अधिकारियों के साथ–साथ कर्मचारियों को सहयोग के सिद्धान्त और तकनीकों की जानकारी देना है। इससे सहकारी समितियों को प्रभावशाली रुप से और कार्यकुशलता से चलाने में मदद मिलती है।

बोध प्रश्न 2

1) सहकारिता के चार सिद्धान्त बताएं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सहकारी समिति का सदस्य कौन बन सकता है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) अधिशेष राशि के समतुल्य वितरण से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2.4 भारतीय सहकारी समिति अधिनियम

सहकारी समिति अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है। जबकि 'सहकारी समितियाँ' राज्य का विषय है। (संविधान के सातवीं अनुसूची की सूची–II की प्रविष्टि 32 अर्थात राज्य सूची) यद्यपि यह अधिनियम अभी भी लागू है, किन्तु इसे लगभग सभी राज्यों में रद्द किया जा चुका है विशेषकर उन राज्यों में जिन का अपना सहकारी समिति अधिनियम है। अतः व्यावहारिक रुप से, केन्द्रीय अधिनियम का मुख्यतः सैद्धान्तिक महत्व है। अधिनियम के आमुख के अनुसार यह अधिनियम सहकारी समितियों का कृषकों, कारीगरों और सीमित साधनों वाले अन्य व्यक्तियों में बचत को प्रोन्नत करने के लिए है।

लक्ष्यों और आधारों के विवरण को इस प्रकार बताया गया है:– (क) सहकारी समिति की स्थापना उधार, उत्पादन या वितरण के प्रयोजन से की जा सकती है। (ख) कृषि उधार समिति के दायित्व असीमित होने चाहिए। (ग) असीमित समितियाँ कृषि सुविधाओं के लिए सहयोग की उत्कृष्ट विधा नहीं है। तथापि विभिन्न प्रदेशों (अब राज्यों) में इन समितियों के अस्तित्व और कार्य की व्यवस्था को जारी रखना है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन्हें अनावश्यक प्रेरणा दी जाए, किन्तु उनके अस्तित्व को वैध बनाना है (घ) असीमित सोसाइटी राज्य सरकार की अनुमति से लाभ का वितरण कर सकती है।

i) समिति का पंजीकरण

राज्य सरकार सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करती है। राज्य सरकार रजिस्ट्रार की सहायता के लिए व्यक्तियों की भी नियुक्ति करती है और इन सभी व्यक्तियों अथवा किसी को रजिस्ट्रार की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है (सेक्शन 3)। रजिस्ट्रार का कार्य समितियों को पंजीकृत करने से आरंभ होती है। उसके पास समितियों पर सामान्य पर्यवेक्षण की शक्ति होती है। समितियों को लेखा रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है। वह समिति की जाँच या निरीक्षण के आदेश दे सकता है। वह समिति को समाप्त करने का आदेश भी कर सकता है।

ii) किन समितियों को पंजीकृत किया जा सकता है

जिस समिति का उद्देश्य सहकारी सिद्धान्तों के अनुरुप अपने सदस्यों के आर्थिक लाभों को प्रोन्नत करना हो, रजिस्टर की जा सकती है। इसी प्रकार जो समिति सुसाध्य प्रचालन के उद्देश्य से स्थापित की गई हो उसे भी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा सकता है। समिति सीमित अथवा असीमित दायित्वों के साथ पंजीकृत की जा सकती है। तथापि जब तक कि राज्य सरकार अन्य प्रकार से निर्देश न करे। (1) उस समिति का दायित्व सीमित होगा जिसका एक सदस्य पंजीकृत है, समिति का सदस्य हो (2) उस

समिति का दायित्व असीमित होगा जिसका उद्देश्य सदस्यों को उधार देने के लिए अनुदान सर्जित करना है और जिसमें अधिकांश सदस्य कृषिक हो और कोई सदस्य पंजीकृत न हो (सेक्शन 4)। अतः एक पंजीकृत समिति किसी अन्य समिति की सदस्य हो सकती है परन्तु इस प्रकार की अन्य सोसाइटी सीमित होनी चाहिए, जब तक राज्य सरकार अन्य प्रकार से निर्देश न करे।

iii) समिति कौन गठित कर सकता है?

एक समिति 18 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम 10 सदस्यों के साथ गठित की जा सकती है। यदि समिति का उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए अनुदान सृजित करना है, सभी सदस्य एक ही नगर, गाँव में रहते हो अथवा सभी सदस्य एक ही जनजाति, श्रेणी या जाति या पेशे के हो, जब तक कि रजिस्ट्रार कोई अन्य निर्देश न करें। यदि पंजीकृत समिति किसी अन्य समिति की सदस्य हो तो कम से कम 10 सदस्यों या एक ही नगर/गाँव आदि में रहने की प्रावधान लागू नहीं होगा। यदि समिति सीमित दायित्व के साथ पंजीकृत हो तो समिति के नाम का अन्तिम शब्द 'लिमिटेड' होना चाहिए (सेक्शन 6)। रजिस्ट्रार को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या एक व्यक्ति कृषक या गैर–कृषक है या क्या वह एक ही नगर/गाँव में रहता है अथवा एक ही जाति/जनजाति से संबंधित है आदि उसका निर्णय अन्तिम होगा (सेक्शन 7)।

iv) सीमित दायित्वों के साथ समिति पर प्रतिबंध

यदि समिति के दायित्व सीमित हो तो इस प्रकार की समिति के पास कुल पूँजी की एक बटा पाँच से अधिक शेयर पूँजी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शेयर का ब्याज रु 1000/– से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। जो पंजीकृत समिति किसी अन्य समिति की सदस्य उसके लिए 20% शेयर अथवा 1000/– रु0 शेयर मूल्य का प्रतिबंध लागू नहीं होगा (सेक्शन 5)। अतः जो पंजीकृत समिति किसी अन्य समिति की सदस्य है वह 20% से अधिक शेयर या मूल्य में 1000/– रु0 से अधिक बढ़ा सकती है।

v) उप–नियम का संशोधन

उप–नियम का कोई संशोधन रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना चाहिए। यदि रजिस्ट्रार आश्वस्त है कि संशोधन अधिनियम या नियम के विरुद्ध नहीं है तो वह संशोधनो को पंजीकृत कर देगा। वह पंजीकरण के एक प्रमाण–पत्र के साथ उसके द्वारा प्रमाणित संशोधन की प्रति जारी करेगा, जो कि निश्चयात्मक प्रमाण होगा कि संशोधन विधिवत किया जा चुका है (सेक्शन 11)।

vi) सदस्यों के अधिकार और दायित्व

यदि सदस्यों का दायित्व शेयरों से सीमित नहीं है तो प्रत्येक सदस्य की पूँजी में उसके लाभ की राशि पर विचार किए बिना एक मत होगा (सेक्शन 13)। यदि पंजीकृत समिति के सदस्यों की देयताएँ शेयर से सीमित है, प्रत्येक सदस्य के इतने मत हो सकते हैं जितने अधिक उप–नियम में निर्धारित किए गए हो [सेक्शन 13(2)] यदि किसी समिति ने किसी अन्य समिति के शेयरों में निवेश किया हो वह एक मुख्तारी नियुक्त करके वोट कर सकता है [सेक्शन 13(3)]। एक पंजीकृत समिति का एक सदस्य बनने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि उसने सदस्यता के लिए समिति को भुगतान न किया हो अथवा

समिति में ब्याज अर्जित किया हो जैसा कि नियमों और उप–नियम में निर्धारित होगा (सेक्शन 12)। अतः यदि समिति के भुगतान में कोई कमी होगी तो सदस्य उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता।

vii) समिति का प्रबंध

प्रत्येक समिति का प्रबन्धन एक समिति द्वारा किया जाएगा। समिति से अभिप्रायः एक पंजीकृत समिति के शासी निकाय से है जिसे उसके कार्यों का प्रबन्धन सौंपा जाता है। समिति के पदाधिकारी में शामिल है अध्यक्ष, सचिव समिति के सदस्य या अन्य व्यक्ति जिन्हें समिति के कार्यों के संबंध में निवेश देने के लिए नियमों और उप–नियम अन्तर्गत शक्ति दी गई हो [सेक्शन 2 (ड.)]।

viii) पूर्व सदस्यों के दायित्व

समिति के पूर्व सदस्यों के दायित्व सदस्य के निवर्तन की दिनांक से दो वर्षों के लिए जारी रहेगें।

ix) ऋण पर प्रतिबंध

एक पंजीकृत समिति केवल अपने सदस्यों को ऋण दे सकती है। तथापि वह रजिस्ट्रार की अनुमति से किसी अन्य पंजीकृत समिति को ऋण दे सकती है। असीमित दायित्वों वाली समिति रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना अस्थाई सम्पत्ति की प्रतिभूति पर राशि उधार नहीं दे सकती [सेक्शन 29(2)]। राज्य सरकार एक सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा किसी पंजीकृत समिति अथवा पंजीकृत समिति के वर्ग द्वारा अस्थाई संपत्ति को गिरवी पर उधार राशि देना वर्जित या प्रतिबन्धित कर सकती है।

x) समिति के कार्यों का निरीक्षण

रजिस्ट्रार जाँच कर सकते है अथवा किसी व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थिति में जाँच करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं (क) उसके अपने प्रस्ताव पर (ख) कलेक्टर के अनुरोध पर, (ग) समिति के अधिकांश सदस्यों के आवेदन पर, अथवा (घ) समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्य के आवेदन [सेक्शन 35(2)] सभी अधिकारियो और समिति के सदस्यों को रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को आवश्यक सूचना देनी होगी।

xi) समिति का विघटन

रजिस्ट्रार निरीक्षण या जाँच के बाद अथवा समिति के 75% सदस्यों से प्राप्त आवेदन पर समिति के पंजीकरण का विघटन कर सकता है। यदि उसके विचार से विघटन किया जाना चाहिए। कोई भी सदस्य रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व प्राधिकरण को दो महीने तक निवेदन कर सकता है। यदि निवेदन दो महीने के समय में प्रविष्ट नहीं हुई और विघटन क आदेश प्रभावी होंगे। यदि अपील प्रविष्ट हुई तो आदेश जिस प्राधिकरण को अपील की गई उसके द्वारा पुष्टि करने के बाद प्रभावी होंगे।

xii. कंपनी अधिनियम लागू नहीं

पंजीकृत सहकारी समिति के लिए कंपनी अधिनियम लागू नहीं होता है (सेक्शन 48)।

बोध प्रश्न 3

1) सहकारी समितियाँ कहाँ पंजीकृत की जानी चाहिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2) समिति का गठन कौन करता है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) समिति का प्रबन्ध कैसे किया जाता है।

.....

.....

.....

.....

.....

2.5 भारत में सहकारिता आन्दोलन

सहकारी अधिनियम 1904 के लागू होने के पश्चात् सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ। सहकारी समितियों का गठन छोटे किसानों के निर्धनता चक्र को जो अपर्याप्त सुविधाओं, कम उत्पादन, भुखमरी और पूँजीपतियों पर अधिक निर्भरता जो उच्च ब्याज पर प्रभारित करते थे, को तोड़ने के लिए संगठित की गईं। किसान उत्पादन के विपणन से जुड़े मध्यस्थों द्वारा भी शोषित होते थे। इन सहकारी समितियों का गठन ऋण और उधार के व्यापक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया।

ऋण सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य सहकारी समितियों के अधिकार प्रदान करने के लिए एक विधान पारित किया गया। 1918 में पुनः सहकारी विधान का दायित्व राज्य सरकारों को प्रदान किया गया। 1920–1940 के अंतराल में अनेक सहकारी समितियाँ अस्तित्व में आई। यह महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियाँ बनी। संख्या बढ़ती चली गई और अगली पंचवर्षीय योजना में सहकारी समितियों को बनाने में अधिकाधिक बल दिया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1992 में रिपोर्ट

दी कि 3,38,000 सहकारी समितियों में लगभग 15.60 करोड़ लोगों के कृषि के ऋण 43.7% शेयर थे। भारत जैसे देश के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आधी शताब्दी में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पुनः ऑपरेशन फ्लड (ओ एफ) कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों के गठन पर बल दिया गया।

i. आनंद पद्धति पर आधारित सहकारी समितियाँ

सहकारिता की आनंद पद्धति का परिचय इकाई (1.4) में दिया गया है।

हम जानते हैं कि खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध संघ की सफलता 'अमूल' नाम से विख्यात है, जिसका आविर्भाव 'आनंद पद्धति' के रुप में जाना जाने वाला मजबूत विकास साधन है। इसकी अभिकल्पना दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, प्रापण, प्रक्रियन और विपणन/वितरण के समर्थन में की गई है। यह दुग्ध उत्पादक किसानों के स्वामित्व से चलाई जाती है। आनन्द पद्धति की डेरी सहकारी समितियों (ए पी डी सी) की मुख्य विशिष्टताएं निम्नलिखित हैः

- एकल लाभ उपागम/साधन
- विकेंद्रित निर्णय लेना/उत्पादकों द्वारा चयनित नेतृत्व
- तीन सोपानिक संगठनात्मक संरचना
- व्यवसायिकों की नियुक्ति
- दुग्ध उत्पादकों के प्रति इन व्यवसायिकों का उत्तरदायित्व
- तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रावधान
- उत्पादन, प्रापण, प्रक्रियन और विपणन कार्यों का एकीकरण
- नियमित लेखा–परीक्षा
- गाँव के विकास के लिए योगदान

अमूल पद्धति किसानों को उनके द्वारा सृजित संसाधनों का नियंत्रण करने के अवसर प्रदान करती है। किसान उन्हें चुनते हैं जो उनके कार्यों का प्रबन्ध करें और उसके बाद व्यवसायिक प्रबन्ध नियुक्त करें तथा उत्तरदायित्व ले।

अत्याधिक महत्वपूर्ण घटक यह है कि समितियों का गाँव और जिला संघ दोनों में एक वास्तविक प्रजातंत्र से जुड़ी व्यवस्था हो। दुग्ध उत्पादकों के अपने चयनित प्रतिनिधि संघ के निदेशकों का मंडल बनाएं। संघ का मंडल एक महाप्रबन्धक और संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए अन्य व्यवसायिक स्टाफ नियुक्त करें। अतः संस्थानिक संरचना जिसमें व्यवसायिकों की सहायता से दुग्ध व्यापार करने के लिए किसान उत्पादक सामान्य नीतियां बनाते हैं। वे स्वंय देखते हैं कि बनाई गई नीतियाँ उत्पादक सदस्यों के हित में उचित दिशा में आगे बढ़ रही है और अविरोध विकास हो रहा है। आनन्द पद्धति का 50वें और 60वें दशक में निरन्तर विकास होता रहा और एक सफल आदर्श के रूप में विकसित हुई जिसका अनुकरण देश के अन्य भागों में किया गया।

आनन्द पद्धति में बेसिक इकाई ग्राम दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, एक ग्राम में दुग्ध उत्पादकों का स्वैच्छिक संघठन है, जो अपने दूध का सामूहिक विपणन करना चाहता है। प्रत्येक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। सदस्यों की सामान्य बैठक में प्रतिनिधियों का चुनाव एक प्रबन्ध समिति का गठन करने के लिए किया जाता है। संघ पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए नियमित और आपात सेवाएं प्रदान करने हेतु पशु चिकित्सकों का नेटवर्क चलाती है। संघ द्वारा चलाई जाने वाली डेरी में मौसमी अधिशेष दूध को दूध पाउडर और अन्य संरक्षण उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए सामान्यतः एक दूध शुष्कन संयंत्र भी होता है डेरी संयंत्र की सहायता से संघ यह सुनिश्चित कर सकती है कि दुग्ध उत्पादकों कों दूध के अपर्याप्त मौसम में भी पर्याप्त मौसम मूल्य का 80–90% मिल सकता है।

सहकारी संघ का अपना पशुचारा संयंत्र है इससे संघ परंपरागत चारे की कीमत से 20–30% कम कीमत पर पौष्टिक संतुलित चारा प्रदान कर सकता है। अतः दुग्ध उत्पादक दुग्ध उत्पादनों द्वारा अपने दूध से अधिक लाभ और राशन की घटी लागत के कारण अपने लाभ बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक सहकारी डेरी अपने तरल दूध और अधिक दूध को परिवर्तित कर दुग्ध उत्पादों का विपणन करने का प्रयास करती है। डेरी से प्राप्त लाभ को दुग्ध उत्पादकों में पूरक भुगतान के रुप में पुनः वितरित कर दिया जाता है। बहुत सी समितियां अपने संघ के साथ व्यापार लेन–देन के आधार पर अपने दुग्ध उत्पादकों को 12–15% बोनस देने में भी समर्थ है।

1964 में अपने आनन्द दौरे के समय भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को हो रहे लाभ से प्रभावित होकर आनन्द पद्धति पर आधारित डेरी सहकारिता को प्रतिवलित करने में सहायक एक राष्ट्रीय संगठन गति करने की इच्छा जताई। अतः सितंबर 1965 में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अस्तित्व में आया। 1969 में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने एक एकीकृत डेरी विकास कार्यक्रम तैयार किया जो ऑपरेशन फ्लड–2 कार्यक्रम के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रस्ताव में भारत के चार महानगरों, कोलकाता, मुबंई, दिल्ली, और चेन्नई के पृष्ठ–प्रदेशों के दुग्ध–संभरो में आनन्द पद्धति पर आधारित 18 दुग्ध सहकारी समितियों के गठन पर विचारा जो दुग्ध उत्पादक संगठनों में निवेश, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध संसाधन और विपणन की गारंटी प्रदान कर सके। इस प्रकार स्थापित प्रत्येक ढाँचे को उन उत्पादकों को सौंपा गया जिनके दूध का प्रसंस्करण किया जाना है। इस प्रकार विकास का यह साधन ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों के हाथ में दे दिया जाए। इसके साथ–साथ चार प्रमुख नगरों में, शहरी डेरी क्षमता निर्मित की जानी थी ताकि वे दूध के लिए अधिकाधिक दुग्ध बाजार के भाग का अधिग्रहण कर ले। सुभआरंभ 1970 में विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपहारस्वरुप प्राप्त संरक्षित उपयोगी वस्तुओं से निधि उत्पन्न करके की गई। इस निधि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के लिए आवश्यक पूर्ण वित्त प्रदान की गई। दानस्वरूप प्राप्त वस्तुओं के रखरखाव, निधि अर्जित करने और प्रापण के लिए वितरण के रुप में भारत सरकार ने भारतीय डेरी विकास निगम की स्थापना की जो देश के डेरी विकास में वित्त और प्रोत्साहन का सदन बन गया। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) आई डी सी के लिए शासकीय तकनीकी विशेषज्ञ निकाय बन गया। आई डी सी का अब राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में विलय हो गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ मार्च 1980 तक 13270 ग्राम डेरी सहकारी समितियों को स्थापित करना संभव हुआ है और इसमें व्यवसायिक स्तर पर 17.47 लाख किसान परिवार सम्मिलित हुए है। ग्रामीण दुग्ध संयंत्रो की क्षमता में परियोजना–पूर्व के

स्तर 6.6 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 45.38 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है और निष्पादन स्तर 4.60 लाख लीटर प्रतिदिन से 33.87 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ गया है। इसी प्रकार मेट्रो डेरी संयंत्र की विपणन क्षमता का दुग्ध विपणन परियोजना पूर्व स्तर के 10 लाख लीटर से बढ़कर 29 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया और निष्पादन 9.02 लाख लीटर से बढ़कर 22.76 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया।

ii) डेरी विकास में सहकारी समितियाँ

कृषि कार्यों में संलग्न एवं भूमि के विभिन्न क्षेत्रफल पर कृषि कार्य करने वाले लगभग 70% परिवारों की जोत 2 हेक्टेयर से कम है। ये कृषक परिवार कुल कृषि योग्य भूमि की 21% पर जोत करते हैं। यह महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य है कि भारतवर्ष में कुल कृषि इकाइयों में लगभग 33% का क्षेत्रफल आधे हेक्टेयर से कम है। अन्य 16% परिवार की जोत आधे से एक हेक्टेयर के बीच है। एक से 2 हेक्टेयर पर जोत करने वाले परिवारों की संख्या 19% है (1970–71)। जनसंख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भूमि के आकार छोटे–छोटे टुकड़ो में बंट रही है। इस प्रकार कृषकों की आर्थिक दशा में डेरी व्यवसाय का महत्व वर्तमान परिपेक्ष में और बढ़ गया हैं।

जहाँ तक डेरी उद्योग के संगठित प्रयास का संबंध है इस देश में हम तीन प्रकार के संगठन देखते हैं – निजी, सरकारी और सहकारी। निजी डेरियाँ कुल मिलाकर अधिकतम संभावित लाभों को अर्जित करने पर ध्यान देती है और वे दुग्ध उत्पादकों को आवश्यक प्रोत्साहन देने पर कभी ध्यान नही देती हैं। स्पष्ट है कि व्यवसायिओं के स्वामित्व और संचालित निजी उद्यमो पर निर्भर रहकर दुग्ध उद्योग में सुधार की आशा नहीं की जा सकती। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नगर दुग्ध आपूर्ति योजनाओं का भी कार्य निष्पादन संतोषजनक और उत्साहजनक नहीं है।

सहकारी संगठनो के माध्यम से भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। अमूल जैसी अत्याधिक सफल दुग्ध सहकारिता को विशेषज्ञता और ऑपरेशन फ्लड के परिणाम यह दर्शाते हैं कि सहकारी नीतियों पर संगठित डेरी उद्योग ही ऐच्छिक परिणाम प्राप्त होगें। दुग्ध सहकारी समितियाँ किसानों के एक अत्याधिक व्यापक संगठन के रुप में कैसे उभरे जो दुग्ध प्रापण, यातायात, संसाधन और विपणन को एक हाथ में चलाए और कैसे इस प्रयोजन के लिए एक संकल्पना की रुपरेखा बनाकर दुग्ध उत्पादन में सुधार और वृद्धि की जाए तथा देश के ग्रामीण समुदाय की आय और जीवन स्तर को उठाया जाए आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु है। जिन पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

बोध प्रश्न 4

1) आनन्द पद्धति की सहकारी समिति की मुख्य विशेषताएं क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सहकारी समितियों को स्थापित करने के पीछे किस का मस्तिष्क था?

.....

.....

.....

.....

.....

3) अमूल किस के लिए जानी जाती है?

.....

.....

.....

.....

.....

4) अमूल पद्धति की सहकारी समिति में मूलभूत इकाई क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2.6 डेरी सहकारी समितियों की त्रि–सोपानिक संरचना

भारत में सहकारी समितियाँ प्रसंस्करण, प्रक्रियन और विपणन तीन स्तरों पर कार्य कर रही है। प्राथमिक स्तर पर ग्राम में स्वंय, इच्छुक किसान दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का गठन करने के लिए एकत्रित होते हैं। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है वे एक समिति बनाते हैं जो ग्राम दुग्ध उत्पादन समिति (वी एम पी सी एस) के नाम से विख्यात दुग्ध सहकारी समितियों के सम्मत सिद्धान्त के अनुसार होती है। समिति के सचिव का चयन समिति जो दिन–प्रति–दिन के कार्यों लिए चयनित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जैसे दूध एकत्रित करना, गुणवत्ता की जाँच करना, संघ/शीतल केन्द्रों में दूध भेजना, बिल तैयार करना, भुगतान लाना और उत्पादकों को वितरित करना है। इसके अतिरिक्त वह बीज और अन्य आगतों की आपूर्ति करते है जिनकी समय–समय पर आवश्यकता होती है।

दूसरे स्तर पर जिला स्तर पर दुग्ध संघ (दुग्ध जिला सहकारी संघ) है। संघ की सदस्यता जिला समिति अथवा किसी अन्य सहकारी संस्थान में पंजीकृत सभी दुग्ध उत्पादकों को दी जाती है, जो उसके सदस्यों से संबंधित संघ को उपयोगी माल की आपूर्ति करता हो। संघ/शीतल केन्द्र दूध को एकत्र करता है, जिसका उत्पादों में प्रक्रियन/परिवर्तन संघ

के अपने संयंत्र में किया जाता है। जिला स्तर पर विभिन्न सुविधाओं का प्रबन्ध करता है जिसे अन्यथा एक समिति नहीं कर सकती जैसे (1) दुग्ध जाँच किट और जाँच के लिए अपेक्षित उपभेज्यो की आपूर्ति करना, (2) समिति द्वारा दुग्ध प्रापण के लिए भुगतान करना, (3) आगतों की आपूर्ति करना जैसे उत्पादकों के लिए चारा बीज आदि, (4) गाँव में बिक्री के लिए दुग्ध उत्पादों और सूखे चारे की आपूर्ति करना, गर्भाधान के लिए वीर्य की आपूर्ति करना और गाँव के रोगी पशुओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

राज्य के सभी संघो ने राज्य स्तर पर एक सहकारी फेडरेशन बनाया है (राज्य डेरी विकास सहकारी फेडरेशन)। फेडरेशन प्रत्येक संघ के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करती है, जो संघ के बोर्ड निदेशकों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत दिन–प्रति–दिन के कार्य/क्रियाकलापों को चलाता है। इसके बदले में फेडरेशन संघ को सभी सुविधाएं प्रदान करता है। सभी संघो के लिए बिक्री कार्य, धन राशि एकत्र करना और संघ को समितियों को आगे देने के लिए हस्तांतरित करना। अन्य शब्दो में यह त्रि–सोपानिक व्यवस्था है अर्थात ग्राम स्तर, जिला स्तर और अन्त में राज्य स्तर।

2.7 डेरी संघ

जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है राज्य में सभी संघ या उनसे जुडे जिले एक शीर्षस्थ निकाय जो फेडरेशन के नाम से जानी जाती है, का गठन करते हैं। फेडरेशन प्रबन्धन निदेशक के अन्तर्गत विभिन्न संघो द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री करने, आगतों की आपूर्ति करने तथा परामर्श देने और उनके क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने का काम करता है। फेडरेशन राज्य स्तर पर राज्य डेरी विकास सहकारी फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह राष्ट्रीय सहकारी डेरी फेडरेशन के नाम से जाना जाता है।

i) भारत का राष्ट्रीय सहकारी डेरी फेडरेशन (एन सी डी एफ आई)

भारत का राष्ट्रीय सहकारी डेरी फेडरेशन 1970 में पंजीकृत हुआ, जून 1985 में एन सी डी एफ आई के उपनियमों को राज्य और संघ राज्यों, क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की संघीय दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्यता को सीमित करने के लिए मूलतः संशोधित किया गया। संशोधित उप–नियम में यह निहित है कि बहु–राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम–1984 एन सी डी एफ आई के निदेशों, प्रबन्धन और नियन्त्रण की अनुमति देता है। दिसंबर 1986 में स्थानीय लाभ के लिए एन सी डी एफ आई के मुख्यालय को दिल्ली से आनन्द (भारत की दुग्ध राजधानी) में स्थानातंरित किया गया।

दिसंबर 1990 में एन सी डी एफ आई में सहकारी तिलहन उत्पादक फेडरेशन को अपने सदस्य के रुप में शामिल किया। यहाँ अब 21 राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन फेडरेशन शीर्षस्थ संघ और 7 तिलहन उत्पादक सहकारी फेडरेशन एन सी डी एफ आई के सदस्य है। इन राज्य फेडरेशनों में 170 जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ और 19 सहकारी तिलहन उत्पादक क्षेत्रीय संघ शामिल है। प्रारंभिक स्तर लगभग 74500 ग्राम सहकारी, सोसाईटियां और 98 लाख किसानों की सदस्यता थी।

वर्तमान में, एन सी डी एफ आई 1984 से 1987 के दौरान प्रारंभ किए गए कार्यकलापों

का निष्पादन और समेकन कर रही है। ये सदस्यों के संबंधों, दुग्ध और तिलहन सहकारी समितियों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय मंच स्थापित कर रही है और राष्ट्रीय स्तरीय संस्थानों और एन सी डी एफ आई के सदस्यों की क्रय और आपूर्ति कार्यकलापों के समन्वयन के लिए एकल विन्डो के रुप में कार्य कर रही है। एन सी डी एफ आई व्यावसायिकता और उत्कृष्टता का संस्थानिक वातावरण विकसित करके इन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी कार्य कर रही है।

एन सी डी एफ आई जेलर (ट्रनकी) आधार पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में 142 ब्राड गेज रोल दुग्ध टेंकरों के कार्यव्यापार का प्रबन्ध कर रहा है 24 मैदान है जिन्हें अधिशेष दुग्ध शेडों से माँग केन्द्रों में कार्यव्यापार के लिए स्थापित किया गया। आगे और अधिक एन सी डी एफ आई उपायों की श्रृंखला ली गई है – जिसमें रेलवे के साथ निर्धारित समय निपुणता के साथ कार्य संपन्न करने का एक बृहत करार किया है।

भारत की राष्ट्रीय सहकारी विकास फेडरेशन का केन्द्र बिन्दु सहयोग और नेटवर्किंग के माध्यम सुसाध्य बनाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन करना है:

- देश में प्रतिबंधित और निरोधक सहकारी कानून बनाना जिससे विधिक वातावरण बन सके जहाँ सहकारी समितियाँ सफल और समृद्ध बने।
- राज्य सहकारी समितियों को अधिकार दे अथवा सहयोग दे ताकि सहकारी समितियाँ सदस्य–स्वामित्व और नियंत्रित आत्म निर्भर हों।
- प्रबुद्ध सदस्यता द्वारा सहकारी समितियों के प्रबन्धन के लिए सहकारी समितियों के कार्यों में राजनीति और राज्य का हस्ताक्षेप न हो।
- सहकारी समितियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों बोर्ड निदेशकों का अनावश्यक न हस्ताक्षेप ताकि बोर्ड और व्यावसायिक कार्यकारी अधिकारियों जो संस्थानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतन्त्रता और शक्ति का प्रयास कर सके के बीच सच्ची प्रतिभागिता और उत्तरदायित्व विकसित हो।
- सरकारी अथवा अन्य संगठनों से ऋण अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाए जो व्यावसायिक मुख्य कार्यकारी हो और सहकारी का स्थाई अधिकारी हो और उसकी नियुक्ति सहकारी के बोर्ड के लिए विशेष रुप से उत्तरदायित्व लेने के लिए की जाए।
- वरिष्ठ अधिकारियों के सामान्य काडर की व्यवस्था के लिए एक नीति बनाना जिसमें इन अधिकारियों को फेडरेशन और संघटक संघों में अदला–बदली की नीति हो और यह संघ और फेडरेशन के पूर्णकालिक स्वतंत्र स्थाई अधिकारी हो।
- एक नीति बनाना जिसमें एक साधन संपन्न नीति के रुप में गुणवत्ता और उत्कृष्टता की जाँच की जाए। बाजार में सफलता हासिल करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता हेतु पूर्वापेषित किया जाए।

ii. मुख्य कार्य

राष्ट्रीय सहकारी डेरी फेडरेशन

- आन्तरिक दुग्ध सहकारिता संबंध बनाना
- दुग्ध उद्योग पर अनुसंधान, प्रकाशन और परामर्श
- राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, भारत सरकार आदि के साथ संपर्क रखना।

राज्य सहकारी दुग्ध फेडरेशन

- उत्पादन कार्यक्रम
- दुग्ध उत्पादों का विपणन
- थोक खरीद समन्वयन
- सहयोगी कार्यक्रम में संघ को सहायता
- प्रशिक्षण, परामर्श आदि

जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ

- प्राथमिक सहकारी समितियों का संघठन और पर्यवेक्षण
- प्राथमिक सहकारी समितियों से प्रक्रियन और दुग्ध उत्पाद बनाने के लिए दूध एकत्र करना।
- डी सी एस के नियमित भुगतान सुरक्षित करना।
- पशुचारा का वितरण
- तकनीकी सहयोग प्रदान करना
- विस्तार क्रियाकलाप
- स्टाफ और डी सी एस कार्मिकों को प्रशिक्षण
- सदस्य किसानों और महिला किसानों को शिक्षित करना

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसाइटी

- दूध एकत्र करना और दुग्ध संघों को बेचना।
- उत्पादकों के लिए नियमित और भुगतान सुनिश्चित करना।
- दुग्ध उत्पादन में सदस्यों की सहायता करना।

- पशु चिकित्सा प्राथमिक सहायता और कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करना।
- पशुचारा की बिक्री।

2.8 राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड

ऑपरेशन फ्लड–II जो 1981 में आरंभ हुई का उद्देश्य देश में शहरी मांग केन्द्रों को 22 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 136 ग्रामीण दुग्ध शेडों के साथ जोड कर एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड तैयार करना और व्यवहार्य दुग्ध उद्योग को सहायता देने के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। दुग्ध ग्रिड राज्य के भीतर अधिशेष दूध की देखभाल करता है। अतिरिक्त क्षेत्र/जिला से प्राप्त दूध को कमी वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित करता है। इस स्थिति में इसे राज्य दुग्ध ग्रिड नाम रखा गया। जब अधिशेष दूध क्षेत्र के अन्तर्गत एक राज्य से कमी वाले राज्य में स्थानान्तरित किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय दुग्ध ग्रिड कहा जाता है। अतिरिक्त क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में भेजने के लिए परिवहन की व्यवस्था राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड करता है।

राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड रेल अथवा सड़क टेंकरों द्वारा स्वास्थ्यपरक स्थिति में लम्बी दूरी पर बड़ी मात्रा में पेस्टोराइस दुग्ध को ढोने की क्षमता रखता है। उदाहरणार्थ, अलग प्रकार के टेंकर 40000 लीटर दूध को नियमित रुप से आनन्द या गूंटूर या जलगाँव से 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके कलकत्ता 30–40 घंटों में के 2° सेल्सियस दुग्ध तापमान के साथ जाता है। ऐसा विकासशील देश में होता है जहाँ पारंपरिक रुप से, यातायात और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, संभावित बाजारों में ताजा उत्पादों का पहुँचना प्रतिबंधित है।

वर्तमान में प्रत्येक सप्ताह में 60 वेगन का एक रेक आनन्द और गंतव्य स्थान जैसे दिल्ली, कलकत्ता और गुवाहाटी में दूध की आपूर्ति करता है। इस सीमा तक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड समर्थ है कि यह चारों मेट्रो और 500 नगरों जो आनन्द गुजरात के मार्ग के बीच में आते हैं, से जुड़ा हुआ है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन फेडरेशन लिमिटेड (जी सी एम एम एफ) के 12 जिला सदस्य संघ द्वारा 2000–01 में प्रतिदिन 44.19 लाख लीटर दुग्ध का प्रापण हुआ।

बोध प्रश्न 5

1) त्रि–सोपानिक सरंचना क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) जिला संघ के सदस्य कौन है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) एन सी डी एफ आई के रुप–विधा को स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

4) दुग्ध ग्रिड का मूलभूत प्रयोजन क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2.9 सारांश

सहकारिता की अवधारणा प्रकृति से उत्पन्न हुई है और इसका संबंध मानव शरीर से है। मानव शरीर के सभी अंग क्रिया के लिए एक दूसरे के सहकारी है। सहकारी (को–आपरेटिव) शब्द की उत्पति (को–आपरेरी) शब्द से हुई जिसका अर्थ है मिलकर कार्य, परिश्रम और क्रिया करना है। सरल शब्दो में सहकारिता एक सामान्य कार्रवाई है जो सभी व्यक्तियों के हित को पूरा करता है। विभिन्न विश्वकोशों जैसे यूनिवर्सल डिक्शनरी, चेम्बर्स 20वीं सेंच्यूरी, इंटरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्स ने अपने–अपने तरीके से कोपरेशन शब्द के अर्थ स्पष्ट और रुपान्तरण किया है। सी.आर. फेय, हेमकि और कर्वे ने भी इस शब्द को स्पष्ट किया है। सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है और इसका संबंध संस्थान जैसे 'कूला', 'ग्रामा', 'शरीनी' और 'जट्टी' से है। धीरे–धीरे इसने 'संयुक्त परिवार' का आकार ले लिया, जो अक्षमता, बीमारी और वृद्धावस्था के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। सहकारिता इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि मध्यस्थ/बिचौलिये कम दाम, उत्पादों का गलत माप, समय पर भुगतान न करना और विभिन्न भ्रष्ट और अनाचार में आसक्त थे। सहकारिता बनने से इन सभी बातों पर कुछ सीमा तक पार पाया जा सका।

सहकारिता के सिद्धान्त जीवन के कुछ नैतिक मूल्यों को समझने पर लक्षित है। सहकारिता के चार मूलभूत सिद्धान्त है (i) मुक्त और स्वैच्छिक सदस्यता (ii) लोकतान्त्रिक शासन (iii) समावता पर सीमित लाभ (iv) बचेत को न्यायोचित वितरण। इन सिद्धान्तों के आधार पर संगठन ने निम्नलिखित सिद्धान्त विकसित किए (i) सहकारिताओं में सहयोग और (ii) सहकारी शिक्षा।

भारतीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम एक केन्द्रीय नियम है। जबकि सहकारी सोसाइटि ां एक राज्य का विषय है, केन्द्रीय अधिनियम अभी भी लागू है। यह लगभग सभी राज्यों में विशेषकर रद्द कर दिया गया है और राज्यों का अपना सहकारी सोसाइटी अधिनियम है। इसमें लक्ष्यों का ब्यौरा और सोसाइटी के पंजीकरण के लिए नियम बनाने के संबंध में निदेश देना, सीमित दायित्वों के साथ सोसाइटी का पंजीकरण, उप–नियमों का संशोधन, सदस्यों के अधिकार और दायित्व, सोसाइटी का प्रबन्धन, पूर्व सदस्यों का दायित्व, ऋण पर प्रतिबंध, सोसाइटी के कार्यों का निरीक्षण और सोसाइटी समाप्त करना आदि शामिल है।

सहकारिता की आनन्द पद्धति अस्तित्व में आई, आकार लिया और अन्ततः सारे देश में विकास दुग्ध उद्योग के लिए एक 'माडल' बन गई। आनन्द पद्धति की मूलभूत इकाई ग्रामा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति –ग्राम में दुग्ध उत्पादकों की एक स्वैच्छिक संगठन है, जो अपने दूध की सामूहिक बिक्री करना चाहता है। एक जिले के सभी ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारिताएं जिला दुग्ध सहकारी संघ की सदस्य है। जिला के सभी संघ मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं। फेडरेशन एक विशेष राज्य के सभी संघो की देखभाल करता है जिसे राज्य दुग्ध फेडरेशन का नाम दिया गया है। सोसाइटियों दुग्ध व्यवहार के तीन स्तर है जैसे प्रापण, प्रक्रिया और विपणन। वितरण जो त्रि–सोपानिक व्यवस्था नाम से जानी जाती है।

भारत की राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध फेडरेशन का पंजीकरण यद्यपि 1970 में हुआ था इसने सहकारी दुग्ध उद्योग के एक शीर्षस्थ निकाय में अपना कार्य 1985 में आरंभ किया। वर्तमान में इसके अन्तर्गत 21 राज्य सहकारी दुग्ध विकास फेडरेशन और सात तिलहन उत्पादक सहकारी फेडरेशन/शीर्षस्थ संघ है। ये राज्य फेडरेशन 170 जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों और 19 सहकारी तिलहन उत्पादक क्षेत्रीय संघों तक फैला हुआ है। प्राथमिक स्तर पर 74500 ग्राम सहकारी सोसाइटियाँ और 98 लाख किसानों की सदस्यता है।

2.10 शब्दावली

सहकारी : कुछ सामान्य लक्ष्यों के लिए मिलकर परिश्रम, कार्य, कार्रवाई और प्रयत्न करना।

कुला : जाति वर्ग अथवा एक परिवार के व्यक्ति, संबंधी और मित्र।

ग्राम्मा : गाँव अथवा ग्राम सभा।

संयुक्त परिवार : परिवार के सदस्य अपनी बेहतरी के लिए इकठ्ठे रहते हैं।

शोषण	: स्वार्थ के लिए नियमों का प्रयोग करना।
स्वैच्छिक	: अनिवार्य या विधिक रोक के बिना।
लोकतान्त्रिक	: सभी के लिए समान अधिकार और लाभ।
न्यायसंगत	: समानता के अनुसार।
वी एम पी सी एस	: ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसाइटी।
डी डी सी एफ	: दुग्ध विकास को–आपरेटिव फेडरेशन।
एन सी डी एफ आई	: भारत का राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध फेडरेशन।
त्रि–सोपानिक व्यवस्था	: तीन स्तरों पर सहकारिता जैसे ग्राम स्तर(जिला स्तर और राज्य स्तर।
उप–नियम	: नियम और अधिनियम।
दुग्ध ग्रिड	: दुग्ध संभर क्षेत्रो को शहरी माँग केन्द्रों से जोड़ना।

2.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Karve (1968) *Cooperation Principles and Substance*, Gokhale Institute of Politics, New Delhi.

Mathur B.s. (1977) *Cooperatives in India*, Sahitya Bhawan, Agra.

Madan G.R. (1996) *Cooperative Movement in India*, Mittal Publication, New Delhi.

Indian Diary Corporation (1983) *Operation Floor: A reality*, (Published) Bulletin.

Kurien, V. (1987) *From a Drop to a Floor*, (Published) Bulletin.

Singh, Bhupal, et-al (1998) "*Dairy Management*, Pt dit Sunder Lal Sharma Institute of Vocational Guidance", National Council of Educational Research and Training, New Delhi.

2.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

आपके उत्तर में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:

बोध प्रश्न 1

1) कुला ग्राम्म, शरीनी और जट्टी।

2) i. गरीबों का शोषण से बचाव।

ii. जनता को नेतृत्व, आपसी हित और स्वतः सहायता के लिए प्रोन्नत करना।

iii. संसाधनो – मानव, साम. ' और वित्त का उचित प्रयोग करना।

iv. उत्पादक और उपभोगता व. बीच प्रभावी संबंध बनाना।

v. उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार।

vi. उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम दरों और प्रतियोगी मूल्यों पर उच्च कोटि प्रदान करना।

vii. संसाधन एकत्रित होने के परिणामस्वरूप पूँजी और अन्य दबावों में कुछ सीमा तक कमी हुई है।

viii. कई कार्यक्रम जैसे उत्पादन प्रक्रिया के लिए अपेक्षित आगतों की उपलब्धता को ग्राम स्तर से आरंभ किया जा सकता है और उत्पादक से उत्पादक तथा आवश्यकतानुसार वितरित किया जा सकता है।

ix. सोसाइटी के सदस्यों को उनके हित में बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए।

3) दलालों के शोषण से बचने के लिए उत्पादक को समय पर और लाभकारी दाम दिए जाए।

बोध प्रश्न 2

1) i. मुक्त और स्वैच्छिक सदस्यता।

ii. लोकतान्त्रिक शासन।

iii. सीमित लाभ और समानता।

iv. अतिरिक्त का समान वितरण।

v. इन सिद्धान्तों के आधार पर संगठन निम्नलिखित सिद्धान्तों को विकसित करता है।

vi. सहकारी समितियों में सहयोग।

vii. सहकारी शिक्षा।

2) क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार, 18 वर्ष से अधिक हो, संतुलित मस्तिष्क हो और उत्तम चरित्र का तथा समृद्ध घोषित नहीं होना चाहिए।

3) अधिशेष दूध को व्यापार का विस्तार करके, सदस्यों को उनके अंशदान या सोसाइटी में उनके शेयर के आधार पर लाभांश/बोनस का भुगतान और वितरण करके पूँजी के रुप में पुनः निवेश किया जा सकता है।

बोध प्रश्न 3

1) समिति को सहकारी समिति रजिस्ट्रार के पास समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा सकता है।

2) एक समिति का गठन एक ही क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले कम से कम 10 सदस्यों के साथ गठित किया जा सकता है।

3) प्रत्येक समिति का प्रबन्ध एक समिति द्वारा किया जाता है, जो शासी निकाय होता है जिसके कार्यों का प्रबन्धन सेक्शन 2(बी) के अन्तर्गत होता है, समिति के कार्यालय पदाधिकारियो में शमिल है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्य।

बोध प्रश्न 4

1) i. एकल उपयोगी वस्तु उपागम।

   ii. विकेंद्रित निर्णय लेना और उत्पादक चयनित नेतृत्व।

   iii. त्रि–सोपानिक संगठनात्मक संरचना।

   iv. व्यापार व्यावसायिकों को रोजगार।

   v. दुग्ध उत्पादकों के लिए व्यावसायिकों की।

   vi. तकनीकी सहयोग प्रदान करने का प्रावधान।

   vii. उत्पादन, प्रापण, प्रक्रियन और विपणन कार्यों का एकीकरण।

   viii. नियमित लेखा परीक्षा।

   ix. ग्रामों के विकास के लिए योगदान।

2) सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई।

3) आनंद दुग्ध संघ लिमिटेड।

4) ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति।

बोध प्रश्न 5

1) ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जिला स्तर पर जिला उत्पादक संघ और राज्य स्तर पर दुग्ध उत्पादक फेडरेशन।

2) सभी ग्राम स्तरीय समितियों संघ की सदस्य बनेगी।

3) भारत का राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध फेडरेशन।

4) अधिक दुग्ध की जिला/राज्य/देश के अन्तर्गत कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति।

इकाई 3 सरकारी नीतियाँ और प्रोत्साहन

संरचना

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 सरकार की अवधारणा और लक्ष्य

3.3 डेरी विकास की योजनाएं

- गहन डेरी विकास कार्यक्रम
- गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए समर्थ ढाँचा
- सहकारी समितियों को सहायता
- राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजनाएँ

3.4 किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

- डेरी/मुर्गीपालन जोखिम पूँजी निधि
- पशुधन बीमा योजना
- डेरी उद्योग के लिए अन्य योजनाएँ

3.5 सारांश

3.6 शब्दावली

3.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् हम जान सकेंगें :

- चालू योजना अवधि में सरकार की नीतियाँ और दिए जाने वाले प्रोत्साहन;
- डेरी विकास में महत्वपूर्ण चालू योजनाओं के नाम; तथा
- चालू योजनाओं की विशेषताएं।

3.1 प्रस्तावना

डेरी विकास की भूमिका दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना और लोगों के पोषण स्तर में सुधार करना, रोजगार अवसर सृजित करना (दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्तर में सुधार करना विशेष रुप से छोटे और सीमान्त किसानों और कृषिक मजदूरों को स्थापित करना है। हम विभिन्न संगठनों (जैसे एन डी आर आई, एन डी डी बी, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों आदि) और भारत में दुग्ध उद्योग के विकास में

कार्यक्रमों (जैसे ऑपरेशन फ्लड) की भूमिका पहले जान चुके हैं। ये संस्थान और कार्यक्रम सरकारी नीतियों से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित है और दुग्ध उत्पादन और विपणन दोनों के सुधार के लिए प्रयत्नशील है।

वर्तमान में पशुपालन और डेरी उद्योग सम्पत्ति और रोजगार उत्पन्न करने, भोजन की टोकरी में पशु प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाने और निर्यात योग्य अधिक दुग्ध उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए सरकार के प्रयत्नों में प्राथमिकता हासिल कर रहे हैं। 2003–04 में उत्पादित दूध का मूल्य रु0 110085 करोड़ था, जो पशुधन क्षेत्र के कुल योगदान का लगभग 67% है। तालिका 3.1 में देश की कुल सकल घरेलु उत्पाद (जी डी पी) में पशुधन के योगदान के प्रतिशत के संबंध में सूचना दी गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 10.84 करोड़ टन (एम टी) निर्धारित किया गया है, 6.0 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर पर विचार किया जा रहा है। डेरी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जीविका विशेषरुप से ग्रामीण महिलाओं के लिए जो दुग्धशालाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और आहार, प्रजनन और प्रबन्धन जैसे मुख्य कार्यों में प्रत्यक्ष रुप से जुड़ी हुई है। डेरी उद्योग में 7.5 करोड़ महिलाएं 1.5 करोड़ पुरुषों की तुलना में कार्यरत है। गायों और भैंसो की मिलकियत के रुप में भूमिहीन परिश्रमिकों और सीमान्त किसानों में अधिक समानता से वितरित है, डेरी उद्योग क्षेत्र की प्रगति के परिणामस्वरुप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक अधिक संतुलित विकास होगा विशेषकर गरीबी के अनुपात की कमी में। बहुत से छोटे और मध्यम किसान जो कृषि से वार्षिक बचत निकालते थे पशुधन विशेष रुप से दैनिक भरण–पोषण के लिए डेरी और मुर्गीपालन पर निर्भर है।

तालिका 3.1: देश के कुल सकल घरेलु उत्पाद में पशुधन के योगदान का प्रतिशत और कुल पशुधन क्षेत्र में दूध के योगदान का प्रतिशत

वर्ष	देश में कुल जी डी पी में पशुधन क्षेत्र के योगदान का %	पशुधन क्षेत्र में दूध के योगदान का %
1993–94	6.5	64.8
1994–95	6.3	66.3
1995–96	6.1	66.7
1996–97	6.1	66.2
1997–98	5.9	66.0
1998–99	5.7	67.5
1999–00	5.6	67.4
2000–01	5.7	67.5
2001–02	5.7	66.8
2002–03	5.7	66.0
2003–04	5.6	66.9

3.2 सरकार की अवधारणा और लक्ष्य

पिछले कुछ दशकों में पशुधन क्षेत्र में कुल मिलाकर वृद्धि गति स्थिर रही और 5% प्रतिवर्ष से ऊपर की तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश न करने पर भी इसे प्राप्त किया गया। किन्तु नवीं पंचवर्षीय योजना से पशुधन उत्पादों की वृद्धि दर में कुछ कमी आई। नवीं पंचवर्षीय योजना में कुल पशुधन उत्पादन में 3.8% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। यह दर 1980–97 में प्राप्त 4.5% की वृद्धि दर से धीमी थी। नवीं योजना की तुलना में दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में काफी महत्वपूर्ण कमी आई – दूध (2.2% से 4.3%), अण्डा (2.14% से 7.3%), और ऊन (0.6% से 2.1%)। वास्तविकता यह है कि दूध और अण्डा उत्पादन में कमी हुई जबकि पशुधन के वर्तमान आँकड़े दर्शाते है कि 1997 से संकर पशुओं और मुर्गियों की संख्या और अनुपात में बड़ी वृद्धि हुई है। सूखा पड़ने के बावजूद चारे की उपलब्धता और पशु उत्पादों की बिक्री की समस्या महत्वपूर्ण दिखाई दी।

गायों और भैसों की नस्ल नीति का व्यापक ढाँचा साठ के दशक के मध्य में देश के लिए अपने प्रजनन क्षेत्रों में देशी नस्लों की चयनित नस्लों पर विचार किया जाए और अज्ञात नस्ल के पशुओं को प्रोन्नत करने के लिए इस प्रकार की उन्नत नस्ल का प्रयोग करने की संस्तुति की। यद्यपि इस ढाँचे को राज्यों ने स्वीकार कर लिया किन्तु क्षेत्र स्तर कार्यक्रमों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन नहीं हो सका। देसी नस्लो के मंद ह्रास प्रजनन संगठनो, सोसाइटियों और अन्य कृषक निकायों को प्रोन्नत न करने के फलस्वरूप देशी नस्लों का सतः सतः ह्रास हुआ। तैयार की गई नस्ल नीति में बड़ी विसमान्यता की। तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि संकरण जिस कुछ सीमित तरीके से और कम दूध उत्पादन वाले पशुओं तक सीमित रखना था के लिए जिसकी सिफारिश की गई थी अब सारे देश में जिसमें कुछ स्थापित नस्लों के प्रजनक भूभाग भी शामिल है अन्धाधुंध फैल रहा है।

नवीं पंचवर्षीय योजना में डेरी क्षेत्र में निवेश बड़ी तेजी से घटा है। आठवीं योजना के निवेश रु0 821.43 करोड (900 करोड़ की योजना लागत) की तुलना में नवीं योजना के दौरान निवेश रु0 469.52 करोड़ की तुलना में अधिकतम निवेश 130.93 करोड़ होगा। 168 डेरी संघों में से 119 डेरी संघ (70.8 प्रतिशत) 31.3.1998 को हानि में चल रही थी। जहाँ तक दूध के क्षेत्र में सरकारी नीति की बात है स्थापित दुग्ध प्रक्रियन संयंत्रो और तरल दूध की बिक्री विशेषकर शहरी क्षेत्रों को वरीयता दी गई। योजना के आरंभिक काल में यह नीति दूध की व्यापक कमी और राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन के पोषण माँग से कम होने पर आधारित थी। लेकिन परिदृश्य में दूध की कमी के वातावरण से प्रेरक वातावरण बना जो माँग को बढ़ाए ताकि दुग्ध उत्पादक की वृद्धि दर प्रेरक हो। देशी दुग्ध उत्पादों (जैसे घी, पनीर, छेना, खोया आदि) जिनकी एशिया और अफ्रीका के देशों के निर्यात बाजार में विशाल क्षमता है, के उत्पादन से जुड़े अव्यवस्थित संगठनों को प्रोत्साहन देने के अभी तक कोई नीतिगत उपाय नहीं किए गए।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में दुग्ध विकास के लिए भारत सरकार के मुख्य केन्द्र बिन्दु है:

1) मुख्य रुप से स्वदेशी नस्लों की गायों और भैंसों का प्रमाणित वीर्य और उच्च कोटि के साँडो और कृत्रिम प्रजनन का प्रयोग करके प्रजनन को प्रोन्नत करने और किसान के स्तर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राकृतिक सेवा नेटवर्क पर बल दिया गया सैन्य दुग्धशालाओं, सरकारी संस्थान/फार्मों और गौशाला के सहयोग से सन्तति परीक्षित साँड उत्पादन कार्य किया जाए।

2) नस्लों की विविधता को बनाए रखने और संख्या में ह्रास अथवा विलुप्त हो रही दूध देने वाली नस्लों को संरक्षण देना राष्ट्रीय वरीयता होनी चाहिए।

3) पशुप्लेग के सफल उन्मूलन के पश्चात् अब पशुओं को होने वाले रोगों पर नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। दुग्ध उत्पादकों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोगमुक्त जोन बनाने के प्रयास किए जाएगें।

4) चारे की फसल और चारा वृक्षों के उत्पादन से चारा विकसित करना, चारागाहों का पुनर्जनन करना और सामान्य सम्पति संसाधनो का उचित प्रबंन्धन करना।

5) पशुपालन ढाँचे के लिए संरचना का विकास करना। पंचायत सहकारी संगठन और गैर सरकारी क्षेत्र किसानों को उनके पास जाकर अपने विषयों में सुविधायें प्रदान करने वाले विशेषज्ञों का समर्पित समूह तैयार कर मार्गदर्शी भूमिका निभानी चाहिए।

6) स्वच्छ एवं उत्तम गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन और मूल्य वर्धन के लिए प्रक्रियन की संरचना और कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाना।

7) अनुसंधान संस्थानों, सरकारी विभागों, निजी उद्योगों, सहकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय रुप से शामिल करके पशु उत्पाद और स्वास्थ्य पर आधारित एक सूचना ढाँचे का सृजन करें।

8) पशुपालन विभाग और डेरी उद्योग तथा भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, और गाय जाति, पशु, भैंस, भेड़, बकरी, अश्व और ऊँट संस्थान जैसे अनुसंधान संस्थानों के बीच नियमित रूप से संपर्क बनाए रखना।

बोध प्रश्न 1

1) पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) दसवीं पंचवर्षीय योजना में डेरी विकास के लिए भारत सरकार के मुख्य केन्द्र बिन्दु क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

3.3 डेरी विकास की योजनाएं

i) गहन डेरी विकास कार्यक्रम (आई डी डी पी)

ऑपरेशन फ्लड (ओ एफ) के कार्यान्वयन से प्रकट हुआ कि दुग्ध संभर/दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों के शहरी बाजार से जुड़ने से अधिक लाभांश का भुगतान शहरी उपभोक्ताओं के लिए दूध की उपलब्धता के वृद्धि होने से हुआ है और सहकारी तंत्र के माध्यम से ग्रामीणों को दूध पर लाभकारी मूल्य मिला है। ऑपरेशन फ्लड के कार्यान्वयन के समय, डेरी विकास क्रियाकलापों में गैर ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों, बाढ़, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों, जिनके दूध उत्पादन की क्षमता तुलनात्मक रुप से कम थी, को राज्य योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

तथापि राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण यह देखा गया कि इन क्षेत्रों में डेरी विकास कार्यकलापों को लेने के लिए राज्य सरकारों हेतु भारत सरकार की ओर से एक समर्थ प्रयासों की आवश्यकता है। तदानुसार पशु पालन और डेरी उद्योग विभाग ने एक कार्यक्रम गैर–ऑपरेशन क्षेत्र बाढ़, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेरी विकास परियोजना आठवीं योजना के दौरान 100% अनुदान पर आरभ की और यह नवीं योजना तक जारी रही। इसे आगे दसवीं और ग्यारहवीं योजनाओं में भी जारी रखने की योजना पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया।

भारत सरकार ने अब दसवीं योजनावधि में संशोधित योजना के कार्यान्वयन/जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है। इस योजना का नाम 'गहन डेरी विकास कार्यक्रम' (आई डी डी आई) होगा और इसका कार्यान्वयन पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों जिनमें वे जिले भी शामिल है जिन्होनें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के दौरान डेरी विकास कार्यक्रमों के लिए 50.00 लाख रु0 प्राप्त किए। दसवीं योजनावधि में योजना की कुल लागत 175.00 करोड़ रुपये थी।

निधिकरण: गैर–ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में निधिकरण की पद्धति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भूमि की लागत के अतिरिक्त 100% अनुदान पर होगी। जो जिले ओ एफ कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल थे किन्तु उनका निवेश ओ एफ के दौरान 50.00 लाख से कम था उन्हें 20,000 लीटर प्रतिदिन की प्रक्रियन क्षमता के लिए 100% सहायतार्थ अनुदान दिया जाएगा। इससे अधिक क्षमता पर ओ एफ पद्धति का 70% ऋण और 30% अनुदान देकर अनुकरण किया जायेगा।

कार्यान्वयन

- राज्य डेरी फेडरेशन/जिला दुग्ध योजना की अपनी विशेषज्ञता और व्यावसायिकता को देखते हुए वे परियोजना का कार्यान्वयन करेंगे।
- निधि अविलंब जारी रखने और परियोजना के कार्यान्वयन में गति लाने के लिए कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा निधि सीधे जारी कर दी जाएगी।
- परियोजना को पानी और चारे के बेहतर उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सामूहिक विधि के आधार पर तैयार किया जाएगा।

- स्वच्छ और उत्तम गुणवत्ता के दूध के उत्पादन और उत्तम स्वास्थ्य पद्धतियों का अनुकरण करने के क्रम में बेहतर गुणवत्ता के दूध के उत्पादन के लिए प्रावधान बनाया जाएगा।

- अधिकतम परियोजना लागत 30.00 करोड़ रु0 प्रति जिला होगी।

- परियोजनाओं के मुख्य संघटकों की सीमाएं निम्नानुसार होगीः

  – दुग्ध प्रक्रियन और विपणन सुविधाएं (शीतलन प्रक्रियन, उत्पादन, निर्माण और विपणन – कुल परियोजना लागत का 60% से अधिक नहीं।

  – दुग्ध प्रापण कार्यकलाप डी सी एस दुग्ध परिवहन, प्रापण टेंकर और अन्य वाहन आदि पर खर्च सहित कुल परियोजना लागत का 30%।

  – तकनीकी सहायता सेवाएं जिसमें शामिल है नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और चारा विकास/प्रावधान आदि क्षेत्र में जहाँ राष्ट्रीय गौजातिय पशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एन पी सी बी बी) या इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नस्ल सुधार सुविधा नहीं है अथवा एन पी पी बी बी द्वारा 10% से अधिक क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, 20% से अधिक नहीं।

  – पशु प्रेरणा केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बी पी एल परिवार तक प्रतिबंधित होगी बशर्ते कि कुल परियोजना लागत का 10% तक कुल सीमित और आर्थिक सहायता पशु की एन ए बी ए आर डी लागत के 50% तक प्रतिबंधित होनी चाहिए।

  – मानवशक्ति विकास जिसमें क्षेत्रीय और दुग्धशाला स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताएं, डी सी एस की प्रबन्धन समिति और कृषक प्रशिक्षण सहित कुल परियोजना लागत का 10%।

  – कार्य पूँजी – 21 दिन के लक्षित दुग्ध संभरण मूल्य से अधिक नहीं।

  – प्रबन्ध अनुदान 3 वर्षों की अवधि के लिए टेपरिंग डाउन आधार पर।

  – निर्देश चिन्ह सर्वेक्षण और उच्च कोटि की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना – कुल परियोजना लागत का 3% से अधिक नहीं।

  – समवर्ती मूल्यांकन और गहन स्वतन्त्र मूल्यांकन करने के लिए परियोजना लागत का 2% से अधिक नहीं।

अनुवीक्षणः परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा उंसी परियोजना पर विचार किया जाएगा जिसे राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेन्सियों के परियोजना दिशानिर्देशों के अन्तर्गत तैयार किया गया हो। इस परियोजना का अनुवीक्षण प्रत्येक तिमाही को सचिव जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में डेरी विकास के प्रभारी है कि अध्यक्षत में तकनीकी प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाएगा।

ii) गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए सर्मथ ठांचा

10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध के अवसंरचना को दृढ़ बनाना' आरंभ की जिसके निम्नलिखित उद्देश्य है।

- गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए कृषक स्तर से उपभोक्ता के बिन्दु तक अवसंरचना सृजित करना।
- कृषक स्तर पर दूध दोहन की प्रक्रिया में सुधार।
- स्वच्छ दूध उत्पादन के महत्व के संबंध में व्यापक स्तर पर जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण देना और अवसंरचना को मजबूत बनाना।

निधिकरण

योजना के अन्तर्गत निधिकरण की पद्धति निम्नलिखित घटकों के लिए 100% आधार पर होगीः

- समिति के सभी सदस्यों को स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण।
- अपमार्जक (डिटरजेंट), रोगाणुरोधक घोल, मलमल का कपड़ा।
- स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बर्तन और अन्य वस्तुएं।
- वर्तमान प्रयोगशाला सुविधाओं को मजबूत करना।
- योजना और अनुवीक्षण।
- योजना के अन्तर्गत निधि देने की पद्धति भारत सरकार और संबंधित दुग्ध सहकारी/संघ के बीच 75:25 का अनुपात भारी संख्या में कूलर खरीदने के लिए होगा।

कार्यान्वयनः डेरी सहकारी/संघ/फेडरेशन राज्य सरकार के माध्यम से योजना लागू करेगी। परियोजना कार्यक्रम निम्नलिखित दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किया जाएगा और पशुपालन और डेरी विभाग को संबंधित सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगेः

i) परियोजना के प्रतिपादन का प्रथम घटक प्रस्तावित गाँव का विश्लेषण गाँव और गाँव से जुड़े क्षेत्रों में उपलब्ध दूध की गुणवत्ता के स्तर को जीवाणुओं और रसायन दोनों की शर्तों पर सुनिश्चित करना। तदुपरान्त ग्राम में बनाई गई डेरी सहकारी सोसाइटी (डी सी एस) की अवस्थिति और निष्पादन, उसका कुल संचयन और डेरी को संघ/निकट बाजार में भेजने के लिए कितनी दूरी पार करनी होगी की जाँच की जाएगी।

ii) परियोजना तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विचारार्थ प्रस्तावित गाँव अथवा डी सी एस, यदि एन डी डी बी केन्द्र/राज्य सरकार के स्वच्छ दूध उत्पादन पर किसी अन्य इसी प्रकार की योजना के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है तो उसे इस कार्यक्रम में शामिल न किया जाए।

iii) डी सी एस का चयन करते समय संघ के अन्तर्गत एकल प्रभारित दुग्ध संचय मार्ग में स्थिति इस प्रकार की अन्य डी सी एस को योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार एक स्तर पर सभी डी सी एस दुग्ध मार्ग को शामिल कर लिया जाएगा।

iv) इस बात पर बल दिया जाए कि 500 लीटर से अधिक दूध का संभरण करने वाली सभी डी सी एस को दुग्ध शीतल पश्च सुविधाएं प्राथमिकता पर दी जाए। वित्तीय प्राथमिकता 500 लीटर प्रति दिन दूध संचित करने वाली डी सी एस को दी जाए और एक यथोचित दूरी क्षेत्र के अन्तर्गत पश्च दुग्ध शीतल सुविधाएं न दी जाए किन्तु योजना के अन्तर्गत एक ही दुग्ध संचयन मार्ग पर स्थित होने पर सहायता के लिए चयनित किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में डी सी एस को योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए विचार करने से पहले प्रबन्ध करना होगा।

v) इस योजना में उन किसान–सदस्यों को सहायता के लिए विचार किया जाएगा जो स्वतः सहयोगी डी सी एस अथवा अन्य निकटतक डी सी एस (किसानों के पशु/छप्पर/संभरण स्थान) को एक वर्ष में कम से कम 250 दिन दूध की आपूर्ति करते हो। इसके साथ ही संबंधित डी सी एस से जुड़े किसान–सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए भी विचार किया जाएगा।

vi) उपर्युक्त डी सी एस और किसान सदस्यों का चयन डेरी सहकारी संघ/फेडरेशन या राज्य सरकार के दुग्ध विकास विभाग के दुग्ध प्रापण और क्षेत्रीय स्तर विस्तार सेवाओं से जुड़े तकनीकी/प्रबन्धन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

vii) प्रशिक्षण कार्यक्रम दुग्ध सहकारी संघ/फेडरेशन या राज्य सरकार के डेरी विकास विभाग द्वारा गठित प्रशिक्षण के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समूह द्वारा चलाया जाएगा।

viii) प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण के साथ–साथ व्यवहारिक प्रदर्शन को भी शामिल किया जाएगा।

ix) जहाँ तक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता है सैद्धान्तिक प्रशिक्षण के लिए डेरी सहकारी संघ/फेडरेशन इस सामग्री को मुद्रित करवा कर प्रत्येक किसान को स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण के समय वितरित करेगा।

x) इसमें एक दिन में एक सैद्धान्तिक सत्र होगा और एक व्यवहारिक प्रदर्शनात्मक सत्र होगा। उसके उपरान्त, नियमित क्षेत्र तकनीकी अधिकारी सात से दस दिन तक प्रशिक्षण के प्रभाव की जाँच करेगें। दूसरे सैद्धान्तिक सत्र के बाद व्यवहारिक प्रदर्शन सत्र होगा।

xi) प्रत्येक किसान पर एक दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का खर्च रु0 175 की दर से किया जाएगा इसमें संदर्भ सामग्री आकस्मिक खर्च शामिल है।

xii) विशेषज्ञ प्रशिक्षक के यातायात का खर्च संबंधित विभाग/डेरी सहकारी संघ/फेडरेशन द्वारा वहन किया जाएगा।

xiii) परियोजना के प्रतिपादन के एक भाग के रुप में डेरी सहकारी संघ/फेडरेशन यह

सुनिश्चित करें कि शीतलन सुविधाओं के लिए 25% सहायता से संबंधी आगतों का वहन संबंधित सोसाइटी/संघ द्वारा किया जाएगा।

xiv) परियोजना की जाँच और छानबीन दुग्ध प्रभाग द्वारा होगी और सामान्य रूप से रु. 5.00 करोड़ की लागत का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जाएगा और एक परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा परियोजना लागत रु. 5.00 से अधिक होगी।

xv) दसवीं योजना के लिए कुल लागत रु. 30.00 करोड़ और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए रु. 1.00 करोड का बजट प्रावधान 2003–2004 के दौरान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को सहायतार्थ अनुदान होगा।

iii) सहकारी समितियों को सहायता

ऑपरेशन फ्लड के अन्तर्गत बहुत से जिला स्तर के डेरी सहकारी संघ हानि में चल रहे हैं और इन्हें केन्द्रीय क्षेत्रक योजना 'सहकारी समिति को सहायता' के माध्यम से पुनः स्थापित करने के प्रयास भी कई मामलों में सार्थक नहीं हुए। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के दौरान देश में लगभग 500 (वर्तमान में 600) में से 265 जिलों को शामिल किया गया था; शेष 250 जिलों को चालू योजना 'एकीकृत डेरी विकास परियोजना (आई डी डी पी) द्वारा शामिल किया गया। विभिन्न समस्याओं के कारण ऑपरेशन फ्लड और एकीकृत डेरी विकास के अन्तर्गत बनाई गई एक महत्वपूर्ण संख्या में दूध संघ हानि में चल रहे हैं। भारत सरकार की 'सहकारी समिति को सहायता' योजना ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित कुछ हानि वाले जिला दुग्ध संघो की वित्तीय सुदृढ़ता पुर्नस्थापित करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है यह योजना केन्द्रीय और राज्य सरकार के लिए अनुदान का समान योगदान (50–50) प्रदान करती है इस योजना को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। एन डी डी बी अपनी ओर से ऋण का पुनर्निधारण करेगी, दण्डनीय ब्याज माफ और बकाया कर्जे पर ब्याज पर रोक का कार्य करेगी।

iv. राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना (एन पी सी बी बी)

पशु–पालन और डेरी उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित एन पी सी बी बी परियोजना आगतों और सेवाओं की गुणवत्ता के रखरखाव पर विशेष बल देकर देश में गौधन और भैंसो के प्रजनन के प्रचालन की पुर्नसंरचना और पुनःअभिविन्यास करती है। यह परियोजना दस वर्ष की अवधि में व्यवस्थित प्रजनन क्रिया को लाए राज्य में प्रजननयोग्य सभी मादा गायों और भैंसो को एक संयोग में (i) एक अत्याधिक उन्नत कृत्रिम गर्भाधान (ए आई) नेटवर्क के द्वारा किसान के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान करेगी (ii) प्राकृतिक सेवा के लिए यह सामरिक साँड वाली स्थिति होगी। यह परियोजना दो चरणों में होगी। प्रथम चरण 2001–2006 और दूसरा चरण 2006–2011 के बीच होगा।

इस परियोजना के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए 100% सहायतार्थ–अनुदान प्रदान किया जाएगा:

- प्रासंगिक सूचना पाने के लिए सर्वेक्षण कार्य।
- संगोष्ठी और कार्यगोष्ठी का आयोजन।

- राज्य और जिला स्तर पर कंप्यूटरीकरण।
- प्रशिक्षण केन्द्र, साँड फार्म और शुक्राणु बैंक/स्टेशन आदि को मजबूत करना।
- तरल नाइट्रोजन के भण्डारण और वितरण के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना।
- व्यावसायिकों को प्रशिक्षण।
- प्रजननकर्ताओं का संघ और संतति परीक्षण कार्यक्रम स्थापित करना।
- किसान प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम।
- कृत्रिम गर्भाधान कर्मचारियों के लिए उपकरण की खरीद।
- विस्तार कार्यक्रम और कृषिक प्रशिक्षण।
- स्थिर गर्भधारण केन्द्रों को चलगर्भधारण केन्द्रों में बदलना।
- गैरसरकारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए यंत्रो का क्रय।
- निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए टेप्रिंग अनुदान।
- नये सांडो का क्रय।
- राज्य कार्यान्वयन एजेन्सी को प्रबन्धन अनुदान।
- विविध।

बोध प्रश्न 2

1) ग्रामीण भारत में दुग्ध विपणन के सृजन के लिए भारत सरकार की मुख्य योजना की प्रमुख विशेषताएं बताएं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक योजना की विशेषताएं बताएं?

.....

.....

.....

.....

3) राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन की परियोजना (एन पी सी बी बी) स्पष्ट करे?

.....

.....

.....

.....

.....

3.4 किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजना

i) डेरी/मुर्गीपालन जोखिम पूँजी निधि

देश में फैले हुए छोटे ग्रामीण उत्पादकों की गणना भारत में दुग्ध उत्पादन में लगभग 70% की गई है। भारत में दूध के उत्पादन का एक बहुत बड़ा अनुपान का हस्ताचलन लगातार अव्यवस्थित क्षेत्र द्वारा किया जाता है जिसमें असंख्य देशी दुग्ध उत्पादों के निर्माता और लघु दूध प्रसंस्करण करने वाले हैं। लेकिन अव्यवस्थित क्षेत्र में मुख्य विवाद गुणवत्ता का है जो मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर आशंका उत्पन्न कर रही है। भारत सरकार ने दसवीं योजना में दुग्ध व्यवसाय के स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए यह योजना आरम्भ की है। इस योजना के हस्तक्षेपों द्वारा स्वतः रोजगार का सृजन करना और भोजन सुरक्षा के लिए गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अव्यवस्थित क्षेत्र को बुनियानी सुविधाएँ प्रदान करना सम्मिलित है। इससे अव्यवस्थित क्षेत्र के एक बड़े भाग को व्यवस्थित क्षेत्र में लाने में सहायता मिलेगी जिसके परिणामस्वरुप क्रियाकलापों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में वृद्धि होगी।

परियोजना के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश होंगे:

- परियोजना लागत की 50% वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रुप में प्रदान की जाएगी जबकि परियोजना लागत का 40% कृषि क्रियाकलापों के लिए लागू ब्याज दरों पर वित्तीय बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा और परियोजना लागत का 10% अंश हिताधिकारियों को वहन करना होगा। इसमें अतिरिक्त हिताधिकारियों द्वारा नियमित/समय पर भुगतान करने के मामले में कृषि कार्यक्रमों के लिए लागू ब्याज का 50% तक भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए।

- भारत सरकार अपने अंश को एन ए बी ए आर डी को जारी करेगी, जो इसका आवर्तन निधि के रुप में प्रयोग करेगी।

- इस योजना का विस्तार सभी अव्यवस्थित क्षेत्रों और व्यवस्थित क्षेत्रों के कृषिकों/निजी उद्यमियों और समूहों तक किया जाएगा।

- इस परियोजना को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैकों, एन ए बी ए आर डी और भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। जब ऋण की वसूली होगी, इसे भारत सरकार का अंश और बैंक ऋण के अंश के बीच यथानुपात

बाँट दिया जाएगा। इसी प्रकार ऋण की अदायगी एक साथ अवर्तन निधि के साथ–साथ बैंकर अंश यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

योजना के अर्न्तगत निधिक घटक तथापि यह निधि व्यक्ति समूह को दी जा सकती है:

क्रम सं.	घटक	अधिकतम कुल परियोजना लागत (रु. लाखों)
1.	लघु दुग्ध फार्म की स्थापना दुग्ध उत्पादन के लिए दस पशुओं की इकाई (भैंसे/संकर गायें)।	रु. 3.00 लाख प्रति इकाई (10 पशुओं तक) • कोई गैर ऑपरेशन फ्लड क्षेत्र • कुल लागत अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर है।
2.	दुग्ध दोहन यंत्र/मिल्कोटेस्टर/थोक दुग्ध शीतलन यूनिट आदि की खरीद।	रु. 15,000 लाख दुग्ध दोहन यंत्र, परीक्षण यंत्र अधिक मात्रा में दुग्ध शीतलन (2000 लीटर क्षमता)
3.	देसी दूध उत्पाद बनाने के लिए प्रक्रियन उपकरणों की खरीद।	रु. 10 लाख प्रति इकाई • इकाई लागत दूध की मात्रा और बनाए जाने वाले उत्पादों पर निर्भर है। • कुल लागत सिविल ढाँचे के प्रकार और यंत्र के स्रोत पर निर्भर है।
4.	दुग्ध उत्पाद, परिवहन सुविधाएं शीतल चेन सहित स्थापित।	रु. 20 लाख प्रति इकाई • इकाई लागत वाहित किए जाने दूध की करना मात्रा/और उत्पाद की प्रकृति पर निर्भर है। • कुल लागत निवेश करने की प्रकार और परिवाहन का स्रोत और मशीनरी पर निर्भर है।
5.	दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए प्रशीतन भण्डार की सुविधा।	रु. 25 लाख प्रति इकाई • इकाई लागत भण्डार किए जाने वाले दूध और दुग्ध उत्पादों की मात्रा और भण्डार किए जाने वाले उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर है। • जबकि लागत निवेश की प्रकृति और मशीनरी के स्रोत पर निर्भर है।
6.	निजी पशु क्लीनिक की स्थापना।	चल क्लीनिक के लिए प्रति इकाई रु. 2.00 लाख अचल क्लीनिक के लिए रु. 1.5 लाख – प्रचालन का क्षेत्र 5000 से 6000 पशु वाले 8 से 10 गाँवो से।

ii) पशुधन बीमा योजना

पशुधन और डेरी उद्योग विभाग 2005–06 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'पशुधन बीमा' आरंभ करेगी। इस योजना को आरम्भ करने के लिए दिये गए तर्क इस प्रकार हैं:

- कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों को अपने पशुओं की असमय मृत्यु से होने वाली हानि को सुरक्षित करना।

- सरकार के लिए संकरण के माध्यम से किसानों को पशुओं के प्रजनन को प्रोन्नत करना और उच्च दुधारु पशु प्राप्त करने के लिए सहायता करना कठिन है जब तक कि उन्हें इन पशुओं की मृत्यु से हुई हानि के बीमा करवाने का उपयुक्त प्रोत्साहन न दिया जाए (जो प्रजनन और उच्च उत्पादक पशुओं के मामले में अधिक होंगे)।

नई योजना की व्यापक विशेषताएं इस प्रकार है:

i) जबकि इस योजना में अन्ततः सभी प्रकार के पशुओं को लाया जाएगा, यह प्रस्तावित किया गया कि प्रारंभ में संकर और उच्च उत्पादक गौधन और भैंसो पर ध्यान दिया जाए। इस योजना में प्रति किसान अधिकतम 2 दुधारु पशुओं का आर्थिक सहायता प्राप्त बीमा किश्त के साथ किया जाए।

ii) छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए, अन्य किसानों को योजना की सीमा से न हटाया जाए।

iii) यह प्रस्ताव है कि नई पशुधन बीमा योजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय गौधन और भैंस प्रजनन योजना' (एन पी सी बी बी) से जोड़ दिया जाए। यह योजना बीमा किए जाने वाले पशुओं की सरल पहचान सुनिश्चित करें और आवश्यक अनुवती कार्रवाई करे, यह एन पी सी बी बी में प्रतिभागियों के लिए भूमिका भी करेगी।

iv) बीमा कंपनियों को प्रस्तावित नई योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले पशुओं के लिए लागू की जाने वाली योजन दरों (जो कम हो) या निकट योजना दरो का पता लगाना होगा। 3 वर्षों की पॉलिसी के अपेक्षित बीमा किश्त 5–6% के आसपास होगी।

v) प्रस्तावित है कि बीमा किश्त का 50% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा (शेष 50% का हिताधिकारियों द्वारा भुगतान किया जाएगा)।

vi) गाँव में पशु चिकित्सों को सक्रिय रुप से शामिल करने के लिए 50/–रु0 प्रति पशु का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

iii) डेरी उद्योग के लिए अन्य योजनाएँ

कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त डेरी उद्योग संबंधी योजनाएं अन्य मंत्रालयों द्वारा भी कार्यान्वित की जा रही है। जैसे खाद्य प्रक्रियन उद्योग मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दसवीं योजना में खाद्य प्रक्रियन उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई) में खाद्य प्रक्रियन क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जो अन्य कार्यों के साथ–साथ अन्य वस्तुओं जैसे फल और सब्जियों, दुग्ध उत्पाद, माँस, मुर्गी,

मछली, अनाज, दाल, तिलहन और इस प्रकार के अन्य कृषि बागवानी सेक्टरों को सम्मिलित कर खाद्य प्रक्रियन उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण पर कार्य किया। दसवीं योजना के कार्यकाल में इन योजनाओं का विलय हो गया और एक सूक्ष्म स्तर योजना 'अवसंरचना विकास' इस दृष्टि से आरंभ की गई कि लघु और मध्यम स्तर की इकाईयों को शीतल संग्रहरण, गोदाम, आर एण्ड डी प्रयोगशाला, बिजली और पानी आदि जैसी मुख्य सुविधाओं की लागत को चुकाने में सक्षम बनाया जाए। देश के विभिन्न भागों में खाद्य पार्कों की स्थापना की। पैक करने वाले केन्द्रों के लिए, उद्यमियों को संयंत्र, यंत्र और तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत का 25% (कठिन क्षेत्रों के लिए 33%) तक सहायता दी जाएगी बशर्ते अधिकतम रु0 2 करोड़ तक होगी। योजना में लेखन सामग्री/चल पूर्व–शीतल संग्रहण, प्रशीतन परिवहन व्यवस्था और परचून दुकानों पर जमाने की मशीन के लिए सहायता का प्रावधान भी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और आकलन परिषद (टी आई एफ ए सी) भी स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और दुग्ध गुणवत्ता के सुधार जैसी परियोजनाओं को भी सहायता देती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिक उद्यमी पार्कों (एस टी ई पी) के माध्यम से दुग्ध सहकारी समितियों विशेषतया महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन करने में सहायता करता है। दुग्ध शीतलन केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता भी उपलब्ध है।

बोध प्रश्न 3

1) डेरी और मुर्गी जोखिम पूँजी निधि योजना के अन्तर्गत निधि प्रदान करने वाले मुख्य घटकों के नाम बताएँ।

.....

.....

.....

.....

2) अवसंरचना विकास योजना के संबंध में लिखे।

.....

.....

.....

.....

3) पशुधन बीमा योजना के विषय में बताएं।

.....

.....

.....

.....

3.5 सारांश

हमने केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और प्रयासों के संबंध में समझा। मुख्य बल देशी गाय और भैंसो के प्रजनन प्रोन्नत, दुधारु नस्लों के संरक्षण, पशुओं का रोगों से बचाव हेतु राष्ट्रीय असंक्रमीकरण कार्यक्रम, पशुपालन के लिए आधारभूत ढाँचे का विस्तार और अवसंरचना का निर्माण तथा गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एवं मूल्य योजित वस्तुओं का प्रक्रियन के संबंध में जानकारी ली। डेरी उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य केन्द्रीय योजनाएं: (i) गहन डेरी विकास कार्यक्रम (आई डी डी पी), (ii) गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना को दृढ़ बनाना, (iii) सहकारी समितियों के लिए सहायता, और (iv) राष्ट्रीय गौधन और भैंस प्रजनन योजना (एन पी सी बी बी)।

गहन डेरी विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के दौरान डेरी विकास क्रियाकलापों के लिए रु0 50.00 लाख से कम अनुदान प्रदान करने वाले जिलों सहित पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में किया गया। गैर–ऑपरेशन फ्लड में निधिकरण की पद्धति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भूमि की लागत के अतिरिक्त 100% सहायतार्थ अनुदान पर होगी। जो जिले ओ एफ कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल थे किन्तु उनका निवेश ओ एफ के काल में 50.00 लाख से कम था उन्हें 20,000 लीटर प्रतिदिन की प्रक्रियन क्षमता के लिए 100% सहायतार्थ अनुदान दिया जाएगा। इससे अधिक क्षमता पर ओ एफ पद्धति का इस प्रकार अनुकरण किया जाएगा 70% ऋण और 30% अनुदान। गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के किए कृषक स्तर से उपभोक्ता के स्तर तक अवसंरचना सृजित करना। योजना के अन्तर्गत निधि देने की पद्धति भारत सरकार और संबंधित डेरी सहकारी/संघ के बीच भारी संख्या में कूलर खरीदने के लिए 75:25 का अनुपात होगा। आगे 100% अनुदान कृषकों को स्वच्छ दूध के उत्पादन के प्रशिक्षण, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए डिट्रजेंट रोगाणुरोधक घोल, मलमल के कपड़े, बर्तन और अन्य संबंधित वस्तुओं की खरीद के लिए दिया गया। जिला स्तर दुग्ध संघों जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की गई थी और अब हानि में चल रही है, को केन्द्रीय क्षेत्रक योजना 'सहकारिताओं को सहायता' के माध्यम से पुनःस्थापित किया गया। यह योजना केन्द्रीय और राज्य सरकार के लिए अनुदान का बराबर योगदान (50:50) प्रदान करती है। इस योजना को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। पशु–पालन और डेरी उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय गौधन और भैंस प्रजनन परियोजना (एन पी सी बी बी) आगतों और सेवाओं की गुणवत्ता के रख–रखाव पर विशेष बल देते हुए देश में गौधन और भैंसो क प्रजनन के प्रचालन की पुनर्संरचना और पुनःअभिविन्यास करती है। यह परियोजना दस वर्ष की अवधि में व्यवस्थित प्रजनन क्रिया को लाएगी, राज्यों में भी प्रजननयोग्य सभी मादा गाय और भैंसो को (i) एक अत्याधिक उन्नत कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क के द्वारा किसान के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं मुहैय्या कराकर तथा (ii) प्राकृतिक सेवा के लिए कौशलतापूर्वक सॉड स्थापित करने के कार्य को मिलाकर राज्य में प्रजनन योग्य सभी गाय तथा भैंसो को संगठित प्रजनन ढाँचे में लायेगी। इस परियोजना में उपर्युक्त कार्यों के लिए राज्यों की 100% सहायतार्थ अनुदान दिया जाएगा।

किसानों, युवाओं और उद्यमियों को डेरी उद्योग को एक व्यवसाय के रुप में अपनाने के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ है। डेरी/मुर्गीपालन जोखिम पूँजी निधि के अन्तर्गत उद्यमियों को परियोजना लागत की 50% निधि सहायता भारत सरकार द्वारा ब्याजमुक्त ऋण के

आधार पर दी जाएगी जबकि 40% कृषि कार्यकलापों के लिए लागू ब्याज दरों पर वित्तीय बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा और परियोजना की लागत का 10% अंश हिताधिकारियों को वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त हिताधिकारियों द्वारा नियमित/समय पर पुनः भुगतान करने के भारत सरकार द्वारा कृषि कार्यकलापों के लिए लागू ब्याज का 50% तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पशुधन बीमा योजना कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों को अपने पशुओं की असमय मृत्यु से होने वाली हानि को सुरक्षित रखेगी। 2 पशु प्रति किसान आर्थिक सहायता प्राप्त बीमा किश्त के साथ किया जा सकता है। बीमा किश्त का 50% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा शेष 50% का हिताधिकारियों को स्वयं भुगतान करना होगा।

कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त डेरी उद्योग संबंधी योजनाएं अन्य मंत्रालयों द्वारा भी कार्यान्वित की जा रही है जैसे खाद्य प्रक्रियन उद्योग मंत्रालय (अवसंरचना विकास योजना) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्राम विकास, प्रौद्योगिकी सूचना और पूर्वानुमान एवं आंकलन मंत्रालय (टी आई एफ ए सी) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत स्वच्छ दूध उत्पादन और दूध की गुणवत्ता के सुधार जैसी परियोजना को सहायता दिया जाता है। ग्राम विकास मंत्रालय डेरी सहकारी समितियों विशेषरुप से महिला दुग्ध समितियों के गठन में एस टी ई पी कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। दुग्ध शीतलन केन्द्र के निर्माण के लिए भी सहायता दी जाती है।

3.6 शब्दावली

केन्द्रीय व्यय : यह विशेषकर विकास योजना(ों) के लिए एक केन्द्रीय विभाग के वार्षिक बजट में आबंटन है।

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन : स्वच्छ दूध सामान्यतः 'स्वस्थ पशुओं के थन से निकाले गए दूध के रूप में परिभाषित है, जिसे स्वच्छ सूखे बर्तन में इकट्ठा किया गया हो और उसमें धूल, मिट्टी, मक्खी, घास, खाद आदि जैसे बाहरी पदार्थ न हो। स्वच्छ दूध सामान्यतया कम जीवाणुओं वाला दूध की एक प्राकृतिक सुगन्ध का दूध है जो मानव उपभोक्ता के लिए सुरक्षित है'।

पशु नस्ल का संरक्षण : यह एक जाति के भीतर विभिन्न नस्लों की जैविक विविधता की सुरक्षा और प्रबन्धन है। संरक्षण के प्रकार का होता है जैसे Ex-situ और In-situ संरक्षण। Ex-situ से अभिप्राय एक नस्ल के प्राकृतिक वास के बाहर संरक्षण अभिगम उदाहरणार्थ चिड़ियाघर और जीन बैंक। In-situ प्राकृतिक वास का संरक्षण और रखरखाव तथा प्रतिपूर्ति।

सकल घरेलु उत्पाद (जी डी पी) : यह देश के भीतर राष्ट्रीय और निवासी विदेशियों से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हैं इसमें अन्य देशों से प्राप्त पोषण/लाभ शामिल नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एनएबीएआरडी) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई, 1982 को संसद के अधिनियम के माध्यम से कृषि, लघु उद्योग, दस्तकारी और अन्य ग्रामीण शिल्प तथा अन्य संबद्ध ग्रामीण क्षेत्रीय में आर्थिक कार्यकलापों को प्रोन्नत और विकास करने के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोन्नत करने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करता है।

सन्तति परीक्षण : स्वाभाविक है कि सांडों का दुग्ध उत्पादन जैसी विशेषताओं के लिए परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसका पता उसके बड़ी संख्या में वीर्य के निष्पादन का मूल्यांकन करके लगाया जाता है। साँड का सन्तान परीक्षण कृत्रिम गर्भाधारण का विभिन्न गोवृन्दों की कई गायों पर प्रयोग करके किया जाता है और प्रथम स्तन्य काल में निष्पादन को रिकार्ड किया जाता है।

जोखिम पूँजी : जोखिम पूँजी बाहरी निवेशकों/एजेन्सियों से नए, विकासशील व्यापार के लिए दी गई पूँजी है। जोखिम पूँजी निवेश सामान्यतः उच्च जोखिम निवेश है किन्तु औसत से अधिक वापसी की संभावना होती है। जोखिम पूँजीपति (वी सी) एक ऐसा व्यक्ति/एजेन्सी है जो इस प्रकार का निवेश करती है।

प्रचालन पूँजी : प्रचालन पूँजी दिन प्रतिदिन व्यापार खर्च के लिए प्रयोग की जाने वाली पूँजी है। इसका प्रयोग आकस्मिकताओं और अनिश्चितताओं को सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। प्रचालन पूँजी = प्रचालन परिसंपत्तियाँ – प्रचालन देयताएँ।

3.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Animal Husbandry & Dairying (Chapter). Mid-term Appraisal of the Ninth Plan, Planning Commission, Government of India.

Working Group Report for the Tenth Plan (2002-07), Department of Animal Husbandry & Dairying, Government of India.

Animal Husbandry & Dairying (Chapter). Tenth Five Year Plan (2002-07), Planning Commission, Government of India.

Inter-Ministry Task Group Report on Investment, Credit and Technical Support to Promote Self-employment in Agriculture, Horticulture, Afforestation, Dairying and Agro-processing. Planning Commission, Government of India.

Annual Report (2004-05), Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan, New Delhi.

3.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

अपने उत्तर में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल करें:

बोध प्रश्न 1

1) पशुधन क्षेत्र में गरीब लोग उत्पादन में सीधे योगदान करते हैं। पशुधन की स्वामित्व के रूप में, भूमिहीन श्रमिकों और सीमान्त किसानों में निष्पक्ष वितरण, इस क्षेत्र मे प्रगति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक अत्याधिक संतुलित विकास होगा, विशेषकर गरीबी अनुपात की कमी में, बल्कि बहुत से छोटे और मध्यम किसान जो कृषि से वार्षिक बचत से पिछड़े हुए थे पशुधन विशेषकर दैनिक भरण–पोषण के लिए डेरी और मुर्गी पर निर्भर है। ग्रामीण महिलाएं पशुपालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और चारे, प्रजनन, प्रबन्ध, स्वस्थ्य देखभाल जैसे मुख्य कार्यों से प्रत्यक्ष रुप से जुड़ी हुई है।

2) सरकार के मुख्य केन्द्र बिन्दु:

- कृत्रिम गर्भाधान और प्राकृतिक सेवा नेटवर्क द्वारा गौधन और भैंसो का प्रजनन–सुधार ताकि किसान अपने द्वार पर सेवाएं पा सकें।
- महत्वपूर्ण दुग्ध उत्पादों का संरक्षण।
- पशु रोगों से बचने के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम/दुग्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करनें के लिए रोग–मुक्त जोन बनाने हेतु प्रयास करना।
- चारा फसल और चारा पेड़ के उत्पादन से चारे का विकास।
- पशु पालन विस्तार नेटवर्क के लिए अवसंरचना का निर्माण।
- गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध दूध उत्पादन तथा मूल्य बनने के प्रक्रियन हेतु अवसंरचना और कार्यक्रम को दृढ बनाना।

बोध प्रश्न 2

1) 'गहन डेरी विकास कार्यक्रम' (आई डी डी पी) योजना पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों जिसमें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के दौरान डेरी विकास क्रियाकलापों के लिए रु0 50,000 लाख से कम प्राप्त करने वाले जिले भी है, में दुग्ध विपणन्न अवसंरचना सृजित करने के लिए कार्यान्वित की गई। गैर–ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में निधिकरण की पद्धति केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को 100% सहायतार्थ अनुदान के आधार पर होगी। प्रत्येक जिला के लिए अधिकतम परियोजना लागत रु0 3.00 करोड़ होगी। इस योजना को राज्य डेरी फेडरेशन/जिला डेरी संघ कार्यान्वित करेंगे। इस परियोजना के मुख्य घटक है:

- दुग्ध प्रसंस्करण और विपणन सुविधाएं (शीतलन, प्रक्रियन, उत्पादन, निर्माण और विपणन सहित) कुल परियोजना लागत का 60% से अधिक।
- दुग्ध प्रापण कार्यकलाप जिसमें ग्राम स्तर डेरी सहकारी समितियाँ, दुग्ध परिवहन, प्रापण टेंकर और अन्य वाहन आदि शामिल हैं – कुल परियोजना लागत का 30% से अधिक।
- तकनीकी सहायता सेवाएँ जिसमें प्रजनन सुधार, पशु स्वास्थ्य देखभाल, चारा विकास/प्रावधान आदि शामिल हैं – 20% से अधिक।
- पशु अधिष्ठापन केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बी पी एल परिवारों तक सीमित बशर्ते कुल परियोजना लागत का 10% का एक संपूर्ण सीलिंग।
- मानवशक्ति विकास जिसमें क्षेत्रीय और दुग्धशाला स्टाफ तथा प्रबन्ध समिति के डी सी एस और किसानों का प्रशिक्षण शामिल है – कुल परियोजना लागत का 10%।
- संचालन पूँजी और प्रबन्ध अनुदान।

2) गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की अवसंरचना को दृढ़ बनाना भारत सरकार की एक मुख्य योजना है जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए किसान से लेकर उपभोक्ता के स्तर तक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अन्तर्गत निधिकरण की पद्धति भारत सरकार और संबंधित दुग्ध सहकारी/संघों के बीच बड़ी मात्रा में कूलरों की खरीद 75:25 के अनुपात में हो। इसके अतिरिक्त किसानों को स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, प्रक्षालकों का क्रय, रोगाणुनाशक घोल, मलमल का कपड़ा, बर्तन और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अन्य संबंधित वस्तुओं और वर्तमान प्रयोगशाला सुविधाओं को दृढ़ बनाने हेतु 100% अनुदान देना।

3) पशु–पालन और डेरी उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित एन पी सी बी बी परियोजना आगतों और सेवाओं की गुणवत्ता के रखरखाव पर विशेष बल देकर देश में पशु और भैंसों के प्रजनन के प्रचालन की पुर्नसंरचना और पुनःअभिविन्यास करती है। यह परियोजना दस वर्ष की अवधि में व्यवस्थित प्रजनन क्रिया को लाए राज्य में प्रजनन योग्य सभी मादा पशु और भैंसो को एक संयोग में (i) एक अत्याधिक उन्नत कृत्रिम गर्भाधान (ए आई) नेटवर्क के द्वारा किसान के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान करेगी (ii) प्राकृतिक सेवा के लिए यह सामरिक साँड वाली स्थिति होगी।

इस परियोजना के अन्तर्गत साँड फार्म और शुक्राणु बैंक/स्टेशन, लिनोनियम तरल के लिए अवसंरचना, भण्डारण और वितरण, संतान जाँच कार्यक्रम के लिए प्रजननकर्ता संघ स्थापित करने, चल कृत्रिम गर्भाधान के लिए परिवर्तन, निजी कृत्रिम गर्भाधान के लिए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण आदि के लिए 100% सहायतार्थ अनुदान प्रदान करना।

बोध प्रश्न 3

1) निम्नलिखित घटक डेरी/मुर्गीपालन योजना के अर्न्तगत निधिक है।

- दुग्ध उत्पादन के लिए लघु दुग्ध फार्म की स्थापना रु0 3.00 लाख प्रति इकाई की सीमा सहित (10 भैंसे और संकरण गाय तक)।
- दुग्ध क्षेत्र/परीक्षण यंत्र/अधिक मात्रा में दूध की खरीद अधिकतम सीमा रु. 15.00 लाख।
- देसी दुग्ध उत्पाद बनाने के प्रक्रियन उपकरणों की खरीद अधिकतम 10 लाख प्रति इकाई।
- दुग्ध उत्पादन परिवहन सुविधाएं शीतल चेन सहित अधिकतम लागत 20 लाख प्रति इकाई।
- दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के लिए शीतल भण्डार की सुविधा रु0 25 लाख प्रति इकाई।
- निजी पशु क्लीनिक की स्थापना चल के लिए रु0 2.00 लाख प्रति इकाई और अचल के लिए रु0 1.5 लाख प्रति इकाई।

2) खाद्य प्रक्रियन क्षेत्र के विकास के लिए खाद्य प्रक्रियन उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अवसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत कई योजनाएं चलाई जो अन्य कार्यों के साथ–साथ अन्य वस्तुओं जैसे फल और सब्जियों, दुग्ध उत्पाद, माँस, मुर्गी, मछली, अनाज, दाल तिलहन और इस प्रकार के अन्य कृषि बागवानी सेक्टरों को सम्मिलित कर खाद्य प्रक्रियन उद्योगों की स्थापना/ विस्तार/आधुनिकीकरण पर कार्य किया। इस योजना के अन्तर्गत लघु और मध्यम स्तर की इकाईयों को शीतल संग्रहरण, गोदाम, आर एण्ड डी प्रयोगशाला, बिजली और पानी आदि जैसी मुख्य सुविधाओं की लागत को चुकाने में सक्षम बनाया जाए। देश के विभिन्न भागों में खाता पार्कों की स्थापना की। पैकेजिंग केन्द्रों के लिए, उद्यमियों को संयंत्र, यंत्र और तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत का 25% (कठिन क्षेत्रों के लिए 33%) तक सहायता दी जाएगी बशर्ते अधिकतम रु0 2 करोड़ तक। योजना में लेखन सामग्री/चल पूर्व–शीतल संग्रहण, प्रशीतन परिवहन व्यवस्था और परचून दुकानों पर जमाने की मशीन के लिए सहायता का प्रावधान भी है।

3) पशुधन बीमा योजना कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों को अपने पशुओं की असमय मृत्यु से होने वाली हानि को सुरक्षित रखेगी। 2 पशु प्रति किसान आर्थिक सहायता प्राप्त बीमा किश्त के साथ किया जा सकता है। उपयुक्त क्रियाकलापों के लिए इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 100% आर्थिक सहायता दी जाएगी।

MPDD/IGNOU/P.O.1.K/JAN.2018(Reprint)

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ISBN-978-81-266-3374-6